सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

अहमदाबाद अंचल

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट होम लोन

सेन्ट व्हीकल

सेन्ट शॉप

सेन्ट स्वाभिमान प्लस

सेन्ट रेंटल

सेन्ट मॉर्गेज

संजय भट्ट
वरिष्ठ प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय,
अहमदाबाद

डॉ. मनीष कुमार सोनी
प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय,
बड़ौदा

हमारे रिटेल उत्पाद

“हमारे रिटेल उत्पाद”

मार्गदर्शन

श्री जे.एस.साहनी, फील्ड महाप्रबंधक, अहमदाबाद अंचल

विशेष सहयोग

श्री आर.जयकृष्णन, उप आंचलिक प्रबंधक

सहयोग

श्री हितेश एम.रावल, सहायक महाप्रबंधक
श्री प्रशांत देशपांडे, सहायक महाप्रबंधक
श्री ए.एस.नायक,सहायक महाप्रबंधक

संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता

संजय भट्ट, वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा, आंचलिक कार्यालय,अहमदाबाद

संकलन सहयोग

डॉ. मनीष सोनी, प्रबंधक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, बडौदा

हमारे रिटेल उत्पाद

प्रस्तावना

यह सर्वविदित है कि बैंकिंग उद्योग किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक महतवपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है. बैंकों के माध्यम से ही सरकार अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करती है. किसी भी बैंक का ग्राहक आधार ही उस बैंक की सफलता पर निर्भर करता है.

समय के साथ–साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने समय की मांग को देखते हुए अपने उत्पादों में आवश्यक परिवर्तन किए हैं. हमारे रिटेल उत्पाद बेहद लोकप्रिय हैं एवं हमारे सम्माननीय ग्राहकों की अपेक्षानुरूप हैं.

केन्द्रीय कार्यालय, राजभाषा के निर्देशों के अनुसार अहमदाबाद अंचल के राजभाषा विभाग द्वारा "हमारे रिटेल उत्पाद" शीर्षक से हिन्दी में यह पुस्तिका तैयार की गयी है. इस पुस्तक में हमारे सभी रिटेल उत्पादों के बारे में जानकारी दी गयी है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक सभी स्टाफ सदस्यों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी.

इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए मैं राजभाषा विभाग को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं.

(जे.एस.साहनी)
फील्ड महाप्रबंधक

हमारे रिटेल उत्पाद

इस पुस्तक के बारे में

हिन्दी हमारे देश की राजभाषा होने के साथ-साथ देश के अधिकांश भागों में बोली व समझी जाने वाली भाषा भी है. यदि किसी भी विषय को हिन्दी में लिखा अथवा बताया जाए तो कदाचित समझने में आसान होता है.

केन्द्रीय कार्यालय द्वारा बैंकिंग जैसे कठिन विषय के विभिन्न विषयों पर हिन्दी में पुस्तक बनाने जैसे दुरूह कार्य को अपने हाथों में लिया गया जोकि न केवल प्रशंसनीय है अपितु विषय को समझने में भी सहायक सिद्ध होगा.

इसी परिप्रेक्ष्य में अहमदाबाद अंचल को हमारे रिटेल उत्पाद विषय पर हिन्दी में पुस्तक तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है. अहमदाबाद अंचल में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों के सहयोग से यह पुस्तक तैयार की गयी है. इस पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि हमारे बैंक की रिटेल ऋण योजनाओं को सम्मिलित किया जाए.

मैं अपने फील्ड महाप्रबंधक महोदय सहित सभी वरिष्ठ कार्यपालकों का आभार व्यक्त करता हूं जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से इस पुस्तक का संकलन संभव हो सका.

हमारा भी यह पुस्तक लिखने का प्रयास अब आपके सामने है.

संजय भट्ट
वरिष्ठ प्रबंधक

हमारे रिटेल उत्पाद

अनुक्रमणिका

परिचय 7

रिटेल बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं: 9

रिटेल बैंकिंग की आवश्यकता 15

रिटेल बैंकिंग के लाभ :- 16

रिटेल बैंकिंग की विशेषताएं 16

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आवास ऋण हेतु विभिन्न योजनाएं ..18

सेन्ट गृहलक्ष्मी 19

सेन्ट होम लोन.....20

सेन्ट होम डबल प्लस स्कीम.....26

सेन्ट होम लोन लाभार्थियों को टॉपअप सुविधा 36

वाहन ऋण.....41

सेन्ट वाहिनी 41

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट व्हीकल लोन..... 42

एग्जीक्यूटिव एमबीए 54

सेन्ट स्किल लोन.....58

सेन्ट वैयक्तिक ऋण योजना 64

सेन्ट वैयक्तिक गोल्ड लोन 65

वरिष्ठ नागरिकों का ऋण..... 68

सेन्ट मॉर्गेज.....72

सेन्ट रेन्टल 73

****

हमारे रिटेल उत्पाद

परिचय : आज के समय में ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बैंकिंग उपलब्ध कराना सभी बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है. महात्मा गांधी ने ग्राहकों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा था," ग्राहक हमारा भगवान है, वह हमारे लिए नहीं, बल्कि हम उसके लिए हैं. आज सम्पूर्ण विश्व आधुनिक बैंकिंग के सभी नए प्रकारों का उपयोग कर रहा है जिससे उसका ग्राहक वर्ग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके. रिटेल बैंकिंग की शुरुआत भी ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाओं को बाधारहित तरीके से उपलब्ध कराने के लिए की गई थी. जैसे जैसे यह उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ती गयी ग्राहकों का महत्व भी बढ़ता गया. "आज के समय में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक हो गई है कि सभी बैंक एवं संस्थाएं ग्राहकोंको रिझाने के लिए नई नई तरह की मुफ्त सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं. तकनीक के विकास ने इसमें और अधिक विस्तार किया है. सभी बैंकों के प्रतिनिधियों का ग्राहकों के साथ मिलकर कार्य करना उनकी जरूरतों को पूरी करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है. जहां पहले ग्राहकों को किसी बैंक में खाता खोलना भी बड़ा मुश्किल कार्य लगता था, वही आज के समय में ये सब बिना किसी समस्या के संभव है. खुदरा बैंकिंग ने इस पूरे सिस्टम को बहुत पारदर्शी बना दिया है. आप सभी संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके सबसे सही और सटीक संस्था से ऋण प्राप्त कर सकते हैं. खुदरा या रिटेल बैंकिंग इसी कारण उपभोक्ता बैंकिंग भी कही जाती है.

रिटेल बैंकिंग सामान्य तौर पर एक बैंकिंग सेवा है जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए तैयार की जाती है. रिटेल बैंकिंग सेवाएं सामान्यत: छोटे सामाजिक बैंकों के साथ साथ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है. थोक बैंकिंग से पृथक रिटेल बैंकिंग पूर्ण रूप से उपभोक्ता बाजार पर आधारित होती है. रिटेल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं वृहद वैयक्तिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं जिनमें बचत एवं चालू खाता, बिल भुगतान सेवाएं के साथ साथ डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड सम्मिलित होते हैं. यदि हम परिभाषा के तौर पर रिटेल बैंकिंग को परिभाषित करें तो खुदरा अथवा फुटकर अर्थात रिटेल का शाब्दिक अर्थ छोटी मात्राओं में बेचना अथवा सीधे उपभोक्ता

को बेचना है. इस प्रकार यह परिभाषा वस्तु के प्रदाता, उपभोक्ता प्रदाय की जाने वाली वस्तु की विशेषताओं प्रदान करने के माध्यमों आदि को स्पष्ट करने और उनकी प्रासंगिकता सूचित करने में सक्षम मुख्य बिन्दुओं को प्रकट करती है.

आज के प्रौद्योगिकी के युग में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां हमें परिवर्तन दिखायी न दे. वर्तमान में हर वस्तु ऐप आधारित हो गयी है. किराने की दुकान की जगह ई- कॉमर्स ने ले ली है. स्थानीय टैक्सी एवं परिवहन के अन्य साधनों में भी परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है. परिवर्तन केवल वस्तुओं अथवा माध्यमों में ही नहीं आया है अपितु प्रत्येक व्यक्ति की सोच में भी परिवर्तन आया है. आज ग्राहक अथवा उपभोक्ता घर बैठे – बैठे प्रत्येक सुविधा चाहता है, प्रत्येक सेवा उसे उसकी सुविधानुसार एवं उसकी सुविधा के स्थान पर चाहिए.

वास्तव में यदि देखा जाए तो धन की तीन स्थितियां होती हैं. पहला उसे दान कर दिया जाए, दूसरा उसका भोग किया जाए और तीसरा एवं अंतिम – धन को नष्ट होने दिया जाए. चाणक्य के अनुसार – धन की सदगति उसके विस्तार से होती है एवं विस्तार या वृद्धि होती है,उपभोग से. यदि देखा जाए तो उपभोग को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – सार्थक उपभोग एवं अर्थहीन उपभोग. धन का उपभोग मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी से जन्म हुआ है उपभोक्ता वर्ग और उसके बढ़ते दबाव का, उपभोक्ता ने मांग पैदा की और मांग से पैदा हुई आपूर्ति अथवा खपत और धन के उपभोग का चक्र प्रारंभ हो गया. मूल रूप से रिटेल बैंकिंग उपभोक्ता को ऋण प्रदान करना है. जिसमें कई प्रकार के ऋण, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड, मॉर्गेज ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि हैं.

हमारे रिटेल उत्पाद

रिटेल बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं:

भारत में खुदरा बैंकिंग का दायरा समय के साथ काफी विस्तृत हो गया. रिटेल बैंकिंग में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई प्रकार के विशिष्ट उत्पाद बनाएँ है जो उनकी जरूरतों को पूरा करते है. **उपभोक्ताओं की जरूरतों को देखते हुए बैंकों ने निम्न उत्पाद एवं सेवाओं को इसमें शामिल किया है जो उनकी जरूरतों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर पूरा करते हैं. जैसे:**

1- **व्यवसाय हेतु ऋण :** रिटेल बैंकिंग में व्यवसाय शुरू करने हेतु अपने ग्राहकों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से वे अपने व्यवसाय को आरंभ कर सकते है। आज के समय में सभी बैंक अपने ग्राहकों की हर संभव मदद करने हेतु तत्पर रहते है जिससे वे उनके भरोसेमंद ग्राहक बने रहे। वे अपने ग्राहकों को विभिन्न तरह के रिटेल ऋण प्रदान कराते है जिससे वे अपने व्यवसाय का संचालन कर सके। महिला उद्यमियों के लिए भी आकर्षक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं जिससे वे अपने व्यवसाय को आरंभ कर सके। जिसमें बुटीक/ब्यूटीपार्लरचलानेहेतुमहिलाओंकोऋण प्रदान करते हैं। केवल इतना भर ही नहीं है बल्कि व्यवसाय की योजना को देखते हुए अन्य कई तरह के शॉप ऋण प्रदान किए जाते है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

2- **वरिष्ठनागरिकोंकोपेंशनपरऋण:** सेवानिवृत्ति के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों को उनके पेंशन के आधार पर ऋण देकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व भी बैंक संभालते हैं। पहले जहां पेंशन के बाद ऋण मिलना संभव नहीं था, आज के समय में सभी बैंकों ने ये काम करना आरंभ कर दिया है।

3- **विवाह/इलाजआदिहेतुऋण:**सभी बैंक अपने ग्राहकों को विवाह/इलाज हेतु आसान किश्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। आज के समय में किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त अपने परिवार के सदस्य हेतु किसी बैंक का ग्राहक अपने ही बैंक से ऋण ले सकता है और किश्तवार उसका भुगतान कर सकता है। विवाह आदि के समय भारतीय समाज अपने परम्पराओं के पालन हेतु कुछ न कुछ खर्च करता ही है जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे और उनकी संतानों

को समाज में स्वीकार्यता भी मिल जाए। ऐसे में अभिभावक अपने सभी दायित्वों का निर्वहन सुगमता से कर सके और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाने में सक्षम हो सके, इस हेतु बैंकों ने अपने ग्राहकों को विवाह/इलाज हेतु भी सहज ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया जिसका भुगतान वे आसान किश्तों में कर सकते हैं.

4- **वैयक्तिकबैंकिंग (बड़े एवं मध्यम कॉर्पोरेट ग्राहकों को दी जाने वाली बैंकिग सुविधाओं के अलावा)** : आज के समय में सभी बैंक अपने ग्राहको को सुविधायुक्त वैयक्तिक बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराते है, जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है.

1- **एटीएममशीनसेवाएं:** वैयक्तिक बैंकिंग में सभी खाताधारकों को एटीएम मशीन सेवा का उपयोग करने हेतु एटीएम कार्ड जारी किया जाता है जिससे वे अपने खाते से सुविधानुरूप पैसे स्वयं ही आहरित कर/निकाल सकते हैं। यह सुविधा निशुल्क दी जाती है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताएँ बिना बैंक जाए एटीएम के द्वारा पैसे आहरित कर पूरा कर सकता है। आज दौर में सभी बैंकों ने इस सेवा को बहुत विस्तृत कर दिया है. देश के हरेक कोने में यह सेवा प्राप्त की जा सकती है और अपने बैंक के एटीएम के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम द्वारा कुछ शुल्क के भुगतान द्वारा भी यह सेवा प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पाँच बार तक यह सेवा नि:शुल्क है। उसके पश्चात प्रति लेनदेन पर कुछ शुल्क (सरचार्ज) देने पड़ते हैं.

2- **इन्टरनेटबैंकिंगसेवाएं :** वैयक्तिक बैंकिंग के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक अपनी इन्टरनेट बैंकिंग सेवा आरंभ करवा सकता है। आज के समय में भारत की अधिकांश जनसंख्या अपने मोबाइल पर इन्टरनेट का उपयोग करती है। पहले जब मोबाइल में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तब अपने डेस्कटॉप अथवा लैपटॉप पर व्यक्ति इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करता था जिसके लिए कुछ शुल्क भी लिए जाते थे लेकिन धीरे धीरे समय बदला और आज के समय में मोबाइल पर भी इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है जिसके साथ यह बैंकिंग

सुविधा सभी अपने मोबाइल पर भी प्राप्त कर सकते है। आज के समय में यह सुविधा निशुल्क हो गई है.

3- **इलेक्ट्रॉनिकनिधिअंतरणसेवाएं :**कम्प्यूटर एवं इंटरनेट आने के पश्चात बैंकिंग सेवा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं. एक समय था जब हम पैसे को जमा कराने अथवा निकासी के शाखा में जाना पड़ता लेकिन कम्प्यूटर और इंटरनेट के आने के पश्चात आप यात्रा में हो अथवा घर हो, हर जगह से 24/7 पैसे का अंतरण अथवा लेनदेन का कार्य कर सकते हैं. इस सुविधा के कारण आज के समय में व्यवसाय की कोई भी गतिविधि बाधित नहीं होती न ही हमारे घरेलू कार्य ही रुकते है. पहले पैसे के अभाव के कारण सारे कार्य ठप्प हो जाते हैं. लेकिन वर्तमान समय में इस सुविधा के कारण सारे कार्य व्यवस्थित तरीके से निरंतर जारी रहते हैं.

4- **सामाजिकसेवाबैंकिंगसेवा:**समाज के विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाना हर मानव का कर्तव्य है. जब तक मानव है तब तक समाज की संरचना विद्यमान रहनी है. हमारे अस्तित्वकी कल्पना बिनासमाजके सम्भव नहीं है. **मैकाइवर एवं पेज** के शब्दों में कहा जाए तो मानव एक सामाजिक प्राणी है बिना समाज के अस्तित्व के मानव की कल्पना नहीं की जा सकती है. वर्तमान व्यवस्थामेंजीतेहुए व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है. जब हमारी बैंकिंग प्रणाली सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित नहीं थी, तब भी दान की परम्परा बनी हुई थी. आज केसमय में बैंकिंग के विभिन्न उपादानोंमें सामाजिक सेवा बैंकिंग का विकल्प भी दियागयाहै, जिसमें व्यक्ति अपने दान को सही खाते में बिना किसी शंका के डाल सकता है. पहले जहां दान हेतु पात्र व्यक्तियों को ढूंढना मुश्किल कार्य था,वहींआजकेसमय में यह अत्यंत सहज हो गया हैं. आज के समय सभी सामाजिक संस्थाएं दान हेतु बैंकिंग प्लेटफार्म का उपयोग करती है जिसमें अपनी इच्छित राशि दान कर सकतेहै और उस दान के उपयोग के बारें में भी जान सकते हैं.

5- **मर्चेन्टबैंकिंगसेवा:**व्यापारियोंके लिए प्रत्येक बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवा चलाती है. सभी बैंक व्यापारियों की सुविधाओं के लिए तमाम योजनाओं से पूर्ण ऐसे खातों का संचालन करती है जो उनकी व्यापारिक जरूरतों को समय पर पूरा

कर सकें. उद्यमियों के लिए प्रायःसभी बैंकों ने अनेक तरह की योजनाएं भी चला रखी है जिससे व्यापारियों को उनके व्यापार के लिए अनेक तरह की सुविधाएं मिलती हैं. मर्चेंट बैंकिंग में व्यापारियों के लिए अलग तरह के खाते जिसे चालू खाता भी कहते है की सुविधा प्रदान की जाती है.

6- **डी-मैटखातेसेवा:**आज के बैंकिंग दौर में शेयर बाजार व्यवसाय में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है. डीमैट खाता एक ऐसा खाता होता है जहां कोई अपने शेयर रख सकता है और उसकी सुरक्षा इलेक्ट्रानिक तरीके से की जाती है.अगर आपको भारतीय बाजार में शेयर में निवेश करना है तो डीमैट खाता खोलना अनिवार्य है. इसके अलावा आपको अपने शेयरों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) में लागू करना है तो भी आपके पास डीमैट खाता होना जरूरी है. इस खाते के शुल्क और प्रभार अलग अलग संस्थानों के अलग अलग है. यह कैसा खाता है और कितनी राशि का हस्तांतरण करना है यह इस पर भी निर्भर करता है. डीमैट खाते से भौतिक रूपों में शेयर रखने में कोई परेशानी नहीं होती है और इसमें आप एक शेयर भी खरीद बेच सकते है. हस्तानतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी भी नही. कोई हस्तान्तरण विलेख आवश्यक नहीं होता.

7- **प्लास्टिक कार्ड डेबिट / क्रेडिट स्मार्ट / किसान कार्ड आदि) सुविधासेवाएं:**डेबिट कार्ड / क्रेडिट / स्मार्ट / किसान कार्ड आदि सभी कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो खरीददारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है. कार्यात्मक रूप से इसे इलेक्ट्रोनिक चेक भी कहा जा सकता है. डेबिट कार्ड में जहां राशि वाहक के खाते से उसी लेनदेन के समय सीधे कट जाती है जबकि क्रेडिट कार्ड वाहक के द्वारा बाद की तारीख में भुगतान किया जाता है. आज के आधुनिक दौर में जब सारी खरीदारी ऑनलाइन हो चुकी है, ऐसे समय में क्रेडीट और डेबिट कार्ड की सुविधाएं सभी बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है. दोनों ही सुविधाएं ग्राहकों को कुछ चार्जेसपर उपलब्ध रहती है.जहां क्रेडिटकार्ड धारक जब क्रेडिट चुनता है तो लेनदेन की प्रक्रिया ऑफलाइन होती है. बिक्री के समय कोई व्यापारी अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए कार्ड को संसाधित कर सकता है या नही भी कर सकता है.

अनुज्ञा एक तरह की गारंटी होती है जिसमें व्यापारी को भुगतान हो जाता है. इस प्रक्रिया के पश्चात कार्डधारक से चेकिंग खाते से खरीदारी के एवज में भुगतान मांगा जाता है जिसमें शुल्क और प्रभार भी शामिल होते है. वहीं डेबिट कार्ड धारक जब डेबिट का चुनाव करता है तो लेनदेन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. बिक्री के समय कार्डधारक खरीददारी को पिन द्वारा प्रमाणित करता है. रकम की जांच के पश्चात मंजूरी मिल जाती है तो कार्डधारक के चेकिंग खाते से व्यापारी खाते में राशि स्थानांतरित कर दी जाती है. इसी तरह किसान कार्ड भी लोन का एक प्रकार है जो अपनी भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानउपयोग करता है. इस कार्ड के माध्यम से एक प्रकार का भावी ऋण प्रदान किया जाता है जिसे एक समय तक कम ब्याज सुविधा के साथ किसान उपयोग कर सकता है.यह भी क्रेडिट कार्ड का ही एक तरह संवर्द्धित रूप है जिससे किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है.

8- **होम बैंकिंग सेवा :** होम बैंकिंग सेवा शाखाओं के बजाय घर से बैंकिंग के व्यवहार को कहा जाता है. यह सामान्यतः इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, टेलीफोन के द्वारा बैंकिंग अथवा ई-मेल द्वारा बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है. यह सर्वप्रथम 1980 के शुरुआती दौर में जब इंटरनेट का आगमन हुआ तब आरम्भ हुआ. किंतु उस समय यह इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता कारण उस समय इंटरनेट का का उपयोग इतना लोकप्रिय नहीं था लेकिन 1990 के मध्य के बाद जब इंटरनेट की लोकप्रियता बढती गई, इंटरनेट बैंकिंग का चलन भी काफी प्रसिद्ध हुआ. आज मोबाइल बैंकिंग के जमाना आ गया है जब हर किसी के मोबाइल में बैंकिंग की सारी सुविधाएं मौजूद है. आज के समय सभी बैंकों ने अपने बैंक की सारी सुविधाएं मोबाइल पर भी देनी आरम्भ कर दी हैं.

9- **मोबाइल बैंकिंग सेवा:**होम बैंकिंग की सेवा का एक प्रकार है जो आज के समय में बहुत ही लोकप्रिय है. आज के समय में डिजिटल मोबाइल ने सारी सुविधाएं आपके हाथ में उपलब्ध है. अब आप कहीं से भी अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकते है. मोबाइल में आप अपने खाते से सबंधित सभी लेनदेन कर सकते है.

हमारे रिटेल उत्पाद

10-बैंक इंश्योरेंस सेवाः आज के समय सभी बैंक बीमा उत्पादों के विपणन के माध्यम से अपने ग्राहक वर्ग को जोड़ रहे हैं. इस माध्यम से वे न केवल लोगों के जीवन सुरक्षित कर रही है बल्कि वे इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रही है. बीमा भविष्य में किसीनुकसान की आशंका से निपटने का अथियार है. हमें नहीं पता कि कल क्याहोगा. इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में सम्भावित नुकसान की भरपाईकी कोशिश करते हैं. इंश्योरेंस का अर्थ जोखिम से सुरक्षा होता है. अगर कोई बीमा कम्पनी किसीव्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी करेगी. बीमा वास्तव में बीमा कम्पनी और बीमित व्यक्ति के बीच में एक अनुबंध है. इस अनुबंध के तहत बीमा कम्पनी बीमित व्यक्ति या कम्पनी से एक निश्चित धनराशि (प्रीमियम) लेती है और बीमित व्यक्ति या कम्पनी कओ पॉलिसी की शर्त के हिसाब से किसी नुकसान की स्थिति में हर्जाना देती है.बीमा सामान्यतः दो तरह का होता है, पहला : जीवन बीमा और दूसरा: साधारण बीमा.

जीवन बीमा में का अर्थ यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कम्पनीकीतरफ से मुआवजा मिलता है. अगर परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है.परिवार के मुख्य व्यक्ति की पत्नी /बच्चे/मातापिता आदि को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है. बीमा योजना में सबसे पहले किसी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया जाता है.

साधारण बीमा में वाहन, घर, पशु, फसल, स्वास्थ्य आदि का बीमा किया जाता है. इस साधारण बीमा के दायरे में आने वाले सभी घटकों के लिए बीमा कम्पनियां बीमा करती है. व्यक्ति एक निश्चित राशि की प्रीमियम के भुगतान के द्वारा इन सभी घटकों में होने जोखिमों से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई कर सके.

हमारे रिटेल उत्पाद

रिटेल बैंकिंग की आवश्यकता :- "रिटेल बैंकिंग" न केवल बैंकों के लिए लाभप्रद है बल्कि व्यक्तिगत उपभोक्ता के साथ साथ समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा. जनता का विकास अर्थात समाज का विकास एवं यह विकास रिटेल बैंकिंग के माध्यम से ही संभव है. इस क्षेत्र के उभरने के साथ साथ बैंकिंग से जुड़े सभी उत्पाद एवं सेवाएं एक ही छत के नीचे ग्राहकों को उपलब्ध हो गयी हैं. आज सभी बैंकों को रिटेल बैंकिंग व्यवसाय की आवश्यकता है जिसके मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :-

- भारतीय आर्थिक विकास की दर में हो रही वृद्धि के कारण मध्यम वर्ग की आय में भी वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप ग्राहकों की क्रयशक्ति में भी वृद्धि हो रही है. इस अधिकता के कारण रिटेल ऋण की मांग में भी वृद्धि हुई है. इस मांग को पूरा करने और अपनी लाभप्रदता में वृद्धि के लिए भी रिटेल ऋण आवश्यक है.
- बैंक अपने ग्राहकों को आस्तियां, देयताओं एवं निधियों के प्रबंधन जैसी सभी प्रकार की सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराते हैं. वे अपने ग्राहकों को अपने पास रोके रखने में ज्यादा सफल होते हैं.
- सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ग्राहकों को नयी रिटेल योजनाएं विभिन्न माध्यमों से बहुत कम समय में उपलब्ध हो जाती हैं. इससे ग्राहकों को उनकी आवश्यकतानुसार उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त करना आसान हो जाता है.
- बैंक का ऋण एक ही स्थान पर केन्द्रित न होकर भिन्न भिन्न योजनाओं में लगे होने से बाजार जोखिम कम हो जाता है.
- रिटेल ऋण में वाणिज्यिक ऋणों की तुलना में ब्याज दर अधिक होने से बैंकों के लाभ में वृद्धि होती है.

हमारे रिटेल उत्पाद

- ❖ रिटेल ऋण व्यवसाय में एनपीए के प्रतिशत में कमी होती है. इसमें अनर्जक आस्तियों की संभावना कम होती है.
- ❖ बैंकों के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण रिटेल बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादों में समयानुसार परिवर्तन कर उपलब्ध कराया जाता है.
- ❖ रिटेल बैंकिंग व्यवसाय के कारण बैंकों की तरलता में वृद्धि होती है.

रिटेल बैंकिंग ने बैंकिंग जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और अपने कारोबार के लिए सभी बैंकों ने इस क्षेत्र को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है.

रिटेल बैंकिंग के लाभ :-

1. ग्राहक आधार बड़ा होने से जोखिम भी ग्राहक आधार में फैल जाएगा.
2. ग्राहकों की विश्वसनीयता अधिक होगी अत: ग्राहक सामान्यत: एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं जाएगा.
3. ऋण राशि सामान्य तौर पर कम होने से ऋण जोखिम कई प्रकार के होंगे.
4. बड़े कॉर्पोरेट्स की तुलना में मांग और ऋण चक्र में अस्थिरता कम है.
5. बड़ी संख्या में ग्राहक विपणन, बड़े पैमाने पर बिक्री और स्कोरिंग सिस्टम का उपयोग करके ग्राहकों को वर्गीकृत करने की क्षमता की सुविधा प्रदान कर सकते हैं.

रिटेल बैंकिंग की विशेषताएं :-

1. बैंकिंग सुविधाओं का लक्ष्य व्यक्तिगत ग्राहक होता है.
2. बड़े पैमाने पर बाजार खंड जिसमें बड़ी संख्या में लोग होते हैं, को लक्ष्य किया जाता है.

हमारे रिटेल उत्पाद

3. अलग-अलग ग्राहकों को सेवा के उत्पादों की विभिन्न देयता, परिसंपत्ति और बहुतायत प्रदान करते हैं.
4. रिटेल बैंकिंग का डिलीवरी चैनल भौतिक एवं वर्चुअल दोनों ही प्रकार का होता है, अर्थात शाखाओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना एवं तकनीक आधारित इलेक्ट्रॉनिक ऑफ साइट डिलीवरी चैनल जैसे - एटीम, इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग इत्यादि.
5. लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को विस्तारित.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी अपने सम्माननीय ग्राहकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न ऋण योजनाएं प्रारंभ की गयी हैं. जिनके अंतर्गत ग्राहकबंधु अपनी पसंद के अनुसार अपनी योजना का चयन कर सकते हैं. जैसाकि पूर्व में भी कहा गया है कि रिटेल उत्पाद का मुख्य अर्थ अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर आसानी से उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराना है. अत: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी विभिन्न रिटेल ऋण योजनाएं प्रस्तुत करता है.

1. रिटेल ऋण
2. आवास ऋण
3. डबल प्लस
4. टॉप अप सुविधा
5. 4था अथवा 5वां मकान खरीदने हेतु
6. सेन्ट व्हीकल
7. सेन्ट विद्यार्थी
8. एक्जेक्यूकिट एमबीए
9. आईआईएम
10. सेन्ट स्किल ऋण
11. सेन्ट वैयक्तिक ऋण
12. सेन्ट पर्सनल गोल्ड लोन
13. सेन्ट स्वाभिमान प्लस
14. सेन्ट पेंशनर्स
15. सेन्ट मॉर्गेज
16. सेन्ट रेन्टल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आवास ऋण हेतु विभिन्न योजनाएं

****

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की उपर्युक्त सभी योजनाएं ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनायी गयी हैं, ताकि अधिक से अधिक हमारे ग्राहकगण इन योजनाओं का लाभ उठा सकें.

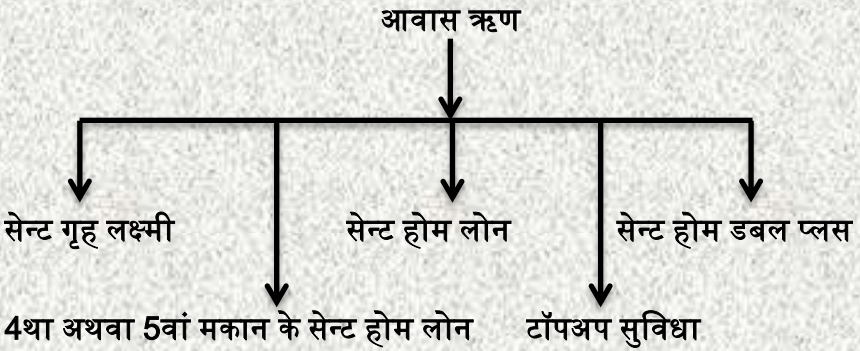

सेन्ट गृहलक्ष्मी :- जैसाकि इस योजना के नाम से ही परिलक्षित होता है कि ये योजना विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है. हालांकि यह योजना एक सीमित समय के लिए उपलब्ध है. यह योजना दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक स्वीकृत ऋण एवं दिनांक 31 मार्च 2022 तक संवितरण के लिए है.
इस योजना के अंतर्गत पूर्ण ऋण या तो महिला के नाम हो अथवा महिला का नाम प्रथम उधारकर्ता के स्थान पर हो. यह इस ऋण की प्रथम एवं महत्वपूर्ण शर्त है.

मासिक किस्तों में छूट :- आवास ऋण की शेष अवधि के अनुरूप अंतिम कुछ मासिक किस्तों में छूट दी गयी है, जहां महिलाएं एकल या प्रमुख ऋणी हैं, बशर्ते कि खाते का संचालन स्वीकृति के अनुसार ऋण अवधि के दौरान नियमित हो और ऋण डीएसए / बिल्डर्स / मार्केटिंग एसोसिएट्स के माध्यम से प्राप्त नहीं

किया गए हों, क्योंकि बैंक पहले से ही उनके द्वारा लिए गए ऋण पर कमीशन का भुगतान कर रहे हैं. .मासिक किस्तों में छूट निम्नानुसार प्रदान की गयी है.

शेष अवधि	किस्तों में छूट की संख्या	प्रयोज्यता
30 वर्ष	05 किस्त	प्रत्यक्ष ऋण के साथ साथ अन्य बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए.
25 वर्ष	04 किस्त	
20 वर्ष	03 किस्त	
नोट : मासिक किस्तों की कुल राशि (5/4/3 मासिक किस्त) या तो मौजूदा मासिक किस्तों या अंतिम अवधि मासिक किस्तों में जो भी कम हो, पर छूट दी जाएगी. उपरोक्त छूट अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा हमारे बैंक से लिए गए ऋणों के फोरक्लोज़र पर लागू नहीं होगी.		

अन्य सभी नियम व शर्तें सामान्य आवास ऋण पर लागू नियम व शर्तों के अनुसार होंगी.

“रिटेल फेस्टिव बोनेन्जा – 2021” के अंतर्गत “सेन्ट गृह लक्ष्मी आवास योजना” की प्रसंस्करण फीस में दिनांक 31.12.2021तक छूट दी गयी है.

सेन्ट होम लोन :- प्रत्येक व्यक्ति की एक कल्पना होती है कि उसका भी अपना एक घर हो. एक समय था जब यह सपना तब पूरा होता था जब व्यक्ति अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाता था एवं उसके पश्चात मिलने वाली राशि से वो अपना घर बनाता था. समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है. वर्तमान परिस्थितियों में ऋण सुविधाओं के कारण यह स्वप्न जल्द ही पूरा हो जाता है. आज हर व्यक्ति अपने एक घर की कल्पना को मूर्त रूप दे पाने में सक्षम एवं समर्थ हो गया है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसी स्वप्न को साकार करने में इस योजना के माध्यम से आपका सहयोग करता है.

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट होम लोन का उद्धेश्य :- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस योजना का मुख्य उद्धेश्य नये घर / फ्लैट के निर्माण करना / अधिग्रहण के लिए विद्यमान घर / फ्लैट के अधिग्रहण के लिए जिसमें लागू ऋण अवधि तथा 10 वर्ष की शेष अवधि हो.

पात्रता :

व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, जिन्होंने आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और सहकारी समितियां, जिनके पास माता-पिता, पुत्रों, पति या पत्नी के साथ अकेले अथवा संयुक्त रूप से आय का कानूनी, पहचना और नियमित आय का स्रोत हो. अनिवासी भारतीय भी आवास ऋण हेतु पात्र हैं.

ऋण की प्रमात्रा:

आवेदक की शुद्ध वार्षिक आय एवं चुकौती क्षमता ईएमआई / एनएमआई अनुपात पर आधारित है.

शुद्ध वार्षिक आय	ईएमआई / एनएमआई अनुपात
<=रु.1.20 लाख	20%
> रु.1.20लाख एवं <= रु.3.0 लाख	30%
> रु.3 लाख एवं <= रु.5.0 लाख	55%
> रु.5 लाख एवं<= रु.8.0 लाख	60%
> रु.8 लाख एवं <= रु 10 लाख	65%
> रु. 10.0 लाख	66.67%

एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = कुल मासिक आय – सभी संवैधानिक कटौतियां एवं कर. (सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित ईएमआई के अतिरिक्त).

हमारे रिटेल उत्पाद

ईएमआई के आकलन के उद्देश्य से ईएमआई / एनएमआई अनुपात में विद्यमान ऋणों की सभी ईएमआई एवं प्रस्तावित ऋण की ईएमआई सम्मिलित होगी, अत: एनएमआई आकलन के उद्देश्य से वर्तमान ईएमआई कुल मासिक आय में से नहीं काटी जानी चाहिए.

नोट : अनुमत ऋण राशि का निर्धारण निम्न पात्र मानदंडों से प्राप्त कम मूल्य के आधार पर किया जाएगा :
अधिकतम अनुमत एलटीवी अनुपात एवं अनुमत ईएमआई / एनएमआई अनुपात.

कुल वार्षिक आय में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली नियमित आय को सम्मिलित किया जाना चाहिए. अप्रत्याशित आय अथवा ओवरटाइम इत्यादि जैसी अस्थायी प्रकृति की आय को कुल वार्षिक आय के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही ये आय नियमित हो.
आवेदक द्वारा घोषित आय के साक्ष्य में दस्तावेजी प्रमाण होने चाहिए.

मार्जिन :
(वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए)

1. रु.30 लाख तक के ऋण के लिए लागत का 90%.
   रु. 30 लाख के ऊपर एवं रु.75 लाख तक - ऋण लागत का 80%
   रु.75 लाख से ऊपर - ऋण लागत का 75 %

(ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन.(उपर्युक्त लागत का निर्माण / नए क्रय / विद्यमान घर / फ्लैट की लागत अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के विस्तार की लागत (जमीन की कीमत सहित)).

2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्मत / नवीनीकरण / विस्तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख.

3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्चात प्लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्य) का 75% .केवल प्लॉट के वित्तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्लॉट की कीमत कुल हाउसिंग ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(गैर वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए)

1. रु. 75 लाख तक की ऋण राशि के लिए लागत का 80% रु.75 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए कुल लागत का 75%
2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्मत / नवीनीकरण / विस्तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख .
3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्चात प्लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्य) का 75%. .
4. केवल प्लॉट के वित्तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्लॉट की कीमत कुल हाउसिंग ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

चुकौती :

अधिकतम 30 वर्ष अथवा उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष पूर्ण होने तक,जो भी पहले हो.

मरम्मत / नवीनीकरण के मामलों में 10 वर्ष.

ब्याज दर :

रेपो आधारित उधार दर (आरबीएलआर) = रेपो + विस्तार + ऋण जोखिम

रेपो आधारित उधार दर सीआईसी स्कोर एवं आंतरिक जोखिम रेटिंग पर आधारित है.

हमारे रिटेल उत्पाद

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर	सीआईसी स्कोर		
	725 से अधिक सिबिल / सीआरआईएफ अथवा 750 से अधिक एक्सपीरियन	701-725 सिबिल / सीआरआईएफ अथवा 726-750 एक्सपीरियन	75-700 सिबिल / सीआरआईएफ अथवा 700-725 एक्सपीरियन
	ए	बी	सी
71-100 (सीबीआई -1 से 3 अर्थात	आबीएलआर	आबीएलआर +0.10	आबीएलआर +0.20
50-70 (सीबीआई -4 से 6 अर्थात म मध्य . (जोखिम	आबीएलआर +0.25	आबीएलआर +0.35	आबीएलआर +0.45
<50 (सीबीआई -7 से 10 अर्थात उच्च जोखिम(	-	-	-

50 से नीचे का आंतरिक जोखिम रेटिंग को माना नहीं जाएगा.

675 से कम सिबिल / सीआरआईएफ एवं एक्सीपीरियन से 700 से कम वाले ग्राहकों को नयी स्वीकृति नहीं दी जाएगी.

सीआईसी स्कोर के आकलन का मानदंड:

आवेदक का न्यूनतम क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनी (सीआईसी) स्कोर निम्नानुसार है.

सीआईसी का नाम	न्यूनतम प्रारंभिक सीमा
ट्रांसयूनियन सिबिल	675
सीआरआईएफ	675
एक्सपीरियन	700

हमारे रिटेल उत्पाद

अधिस्थगन अवधि:

अधिकतम 24 माह, निर्माण के मामलों में अधिस्थगन अवधि 18 माह से अधिक होती है 24 माह तक, पूर्व ईएमआई उधारकर्ता द्वारा देय होगी जब भी लागू हो..

प्रसंस्करण प्रभार:

ऋण राशि का 0.50% oअधिकतम रु.20,000/-

****

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट होम डबल प्लस स्कीम :- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह एक अनोखी योजना है जिसमें आवास ऋण के साथ साथ ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है.

यह योजना दो भागों में विभाजित की गयी है :-

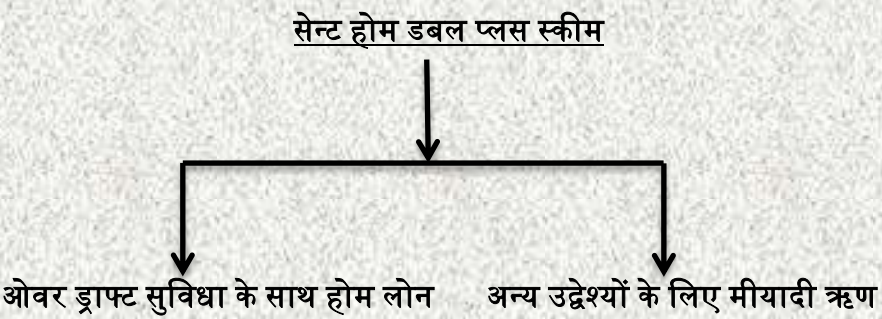

1) ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ होम लोन.
2) अन्य उद्देश्यों के लिए मीयादी ऋण (जैसे मरम्मत / घर का नवीनीकरण घर का फर्निशिंग / नवीनीकरण, नया वाहन खरीदने, उपभोक्ता वस्तुएं / फर्नीचर खरीदने, सौर ऊर्जा उपकरण / बच्चों का विवाह / शैक्षिक व्यय, चिकित्सा व्यय, परिवार अवकाश , टूर इत्यादि

भाग 1 :- सेन्ट होम लोन डबल प्लस के लिए ओवर ड्राफ्ट सुविधा जो आपकी नकदी प्रवाह के कुशल प्रबंधन को सक्षम करें. आप अपनी आवश्यकतानुसार निकासी के लचीलेपन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जो आपके खाते में लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करने में भी सहायक होता है.

स्कीम का उद्देश्य :
नये अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के निर्माण / अधिग्रहण के लिए तथा विद्यमान घर के विस्तार के लिए यह सुविधा उपलब्ध है.

हमारे रिटेल उत्पाद

पात्रता :

इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी, स्वनियोजित व्यक्ति, उद्यमी, अन्य कोई भी व्यक्ति जिसके पास कानूनी पहचान और आय का नियमित स्रोत हो इस योजना के लिए पात्र है. कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त पात्रता के साथ आवेदन करने की तारीख को आवेदक की आयु 18 वर्ष (पूर्ण) होनी चाहिए.

ऋण की प्रमात्रा एवं मार्जिन : इस स्कीम के अंतर्गत ऋण की प्रमात्रा एवं मार्जिन को भी दो भागों में बांटा गया है.

वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए :-

1. रु. 30 लाख तक के ऋण के लिए लागत का 90%
   रु. 30 लाख के ऊपर से रु.75 लाख तक - ऋण लागत का 80% एवं
   रु.75 लाख से ऊपर के ऋण के लिए - लागत का 75 %

ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन.(उपर्युक्त लागत अर्थात निर्माण / नए क्रय / विद्यमान घर / फ्लैट की लागत अथवा विद्यमान घर / फ्लैट के विस्तार की लागत (जमीन की कीमत सहित)).

2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट के मरम्मत / नवीनीकरण / विस्तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख.

3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्चात प्लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्य) का 75% .

इस योजना के अंतर्गत केवल प्लॉट के वित्तपोषण नहीं किया जाएगा. प्लॉट की कीमत कुल आवास ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

हमारे रिटेल उत्पाद

गैर वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए :-

1. रु. 75 लाख तक की ऋण राशि के लिए लागत का 80%
   रु.75 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए कुल लागत का 75%

2. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन विद्यमान घर / फ्लैट की मरम्मत / नवीनीकरण / विस्तार / परिवर्तन की कुल लागत का 75% अधिकतम रु.10.00 लाख .

3. ईएमआई / एनएमआई अनुपात मानदंडों के अनुपालन के पश्चात प्लॉट की कीमत (पंजीकृत मूल्य) का 75%.

4. केवल प्लॉट के लिए वित्तपोषण नहीं किया जाना चाहिए. प्लॉट की कीमत कुल आवास ईकाई की कीमत की 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

अधिस्थगन अवधि :- इस योजना के अंतर्गत 36 माह की अधिस्थगन अवधि अनुमत है.

चुकौती अवधि :- इस योजना के अंतर्गत 30 वर्षों में चुकौती अनुमत है.

कुल निवल वेतन (टेक होम) मानदंड :-

आवेदक की शुद्ध वार्षिक आय एवं चुकौती क्षमता ईएमआई / एनएमआई अनुपात पर आधारित होता है.

भाग 2 : अन्य उद्देश्य के लिए मीयादी ऋण आरबीएलआर :-

घर / तफ्लैट की मरम्म / .नवीनीकरण	▪ जो लोग सेन्ट होम डबल प्लस का लाभ ले रहे हैं वे सेन्ट होम डबल प्लस के अंतिम संवितरण और नियमित चुकौती पर 3 वर्षों के पश्चात नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए पात्र हैं. ▪ सेन्ट होम डबल प्लस के अंतिम संवितरण एवं नियमित चुकौती पर 1 वर्ष के पश्चात घर / फ्लैट के विस्तार हेतु पात्र हैं. ▪ मार्जिन : 25%

हमारे रिटेल उत्पाद

	▪ न्यूनतम रु.1 लाख अधिकतम रु.10 लाख ▪ आरबीएलआर ▪ निम्न जोखिम = 4.00+3.10=7.10 % ▪ मध्यम जोखिम =4.00+3.10+0.25= 11.35% फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल.
व्यक्तिगत उपयोग हेतु नये दोपहिया चौपहिया वाहन / .की खरीदी	केवल नये वाहन ही वित्तपोषण के लिए पात्र हैं.. आरबीएलआर निम्न जोखिम =4.00+3.25=7.25 % मध्यम जोखिम =4.00+3.25+0.20= 7.45 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
घरो की पुनर्सज्जा / फर्निशिंग	• व्यक्तिगत उपयोग हेतु नये दोपहिया / चौपहिया वाहन की खरीदी. केवल नये वाहन ही वित्तपोषण के लिए पात्र हैं.. • आरबीएलआर • निम्न जोखिम = 4.00+3.25=7.25 % • मध्यम जोखिम =4.00+3.25+0.20= 7.45 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
उपभोक्ता वस्तुओं / फर्नीचर इत्यादि की खरीद.	▪ 25% मार्जिन. न्यूनतम रु. 1 लाख. अधिकतम ऋण राशि रु.10 लाख ▪ चुकौती अधिकतम 60 माह. ▪ आरबीएलआर ▪ निम्न जोखिम = 4.00+3.40=7.40 % ▪ मध्यम जोखिम =4.00+3.40+0.25= 7.65 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
सौर ऊर्जा उपकरण	▪ 25% मार्जिन. न्यूनतम 0.10 लाख ▪ अधिकतम रु.10 लाख . ▪ चुकौती : 36 माह . ▪ आरबीएलआर ▪ निम्न जोखिम = 4.00+3.05=7.05 % ▪ मध्यम जोखिम =4.00+3.05+0.10= 7.15 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
बच्चों का विवाह / शैक्षिणिक व्यय, चिकित्सा व्यय	▪ 25% मार्जिन. न्यूनतम 0.10 लाख ▪ अधिकतम रु.5 लाख. ▪ चुकौती: अधिकतम 36 माह .

	▪ आरबीएलआर ▪ निम्न जोखिम = 4.00+4.55=8.55 % ▪ मध्यम जोखिम =4.00+4.55+0.10= 8.65 % फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल
परिवार अवकाश, टूर यात्रा	▪ 25% मार्जिन. न्यूनतम 0.10 लाख , अधिकतम रु.5 लाख. ▪ चुकौती: अधिकतम 24 माह . ▪ आरबीएलआर ▪ निम्न जोखिम = 4.00+5.05=9.05% ▪ मध्यम जोखिम =4.00+5.05+0.10= 9.15 % ▪ फ्लोटिंग एवं मासिक अंतराल

शुद्ध वार्षिक आय-वार श्रेणीबद्ध अनुपात निम्नानुसार है :-

शुद्ध वार्षिक आय	ईएमआई / एनएमआई अनुपात (अधिकतम)
<=रु.1.20 लाख	20%
> रु.1.20लाख एवं <= रु.3.0 लाख	30%
> रु.3 लाख एवं <= रु.5.0 लाख	55%
> रु.5 लाख एवं<= रु.8.0 लाख	60%
> रु.8 लाख एवं <= रु 10 लाख	65%
> रु. 10.0 लाख	66.67%

एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = कुल मासिक आय (जीएमआई) – सभी संवैधानिक कटौतियां एवं कर. (सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित ईएमआई के अतिरिक्त).

ईएमआई के आकलन के उद्देश्य से ईएमआई / एनएमआई अनुपात में विद्यमान ऋणों की सभी ईएमआई एवं प्रस्तावित ऋण की ईएमआई सम्मिलित होगी, अत: एनएमआई आकलन के उद्देश्य से वर्तमान ईएमआई कुल मासिक आय में से नहीं काटी जानी चाहिए.

हमारे रिटेल उत्पाद

नोट : अनुमत ऋण राशि का निर्धारण निम्न पात्र मानदंडों से प्राप्त कम मूल्य के आधार पर किया जाएगा.

अधिकतम अनुमत एलटीवी अनुपात एवं अनुमत ईएमआई / एनएमआई अनुपात.

1. कुल वार्षिक आय में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली नियमित आय को सम्मिलित किया जाना चाहिए. अप्रत्याशित आय अथवा ओवरटाइम इत्यादि जैसी अस्थायी प्रकृति की आय को कुल वार्षिक आय के आकलन में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए, भले ही ये आय नियमित हो.
2. आवेदक द्वारा घोषित आय के साक्ष्य में दस्तावेजी प्रमाण होने चाहिए.

- ऋण राशि का 0.50% oअधिकतम रु.20,000/-
- रहवासी संपत्ति का साम्यिक बंधक
- ऋण राशि पर ध्यान दिए बिना वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए गारंटी की शर्त को हटा दिया गया है. स्वनियोजित व्यक्ति / अन्य के लिए रु. 20.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है.
- स्वनियोजित व्यक्ति / अन्य के लिए रु. 20.00 लाख तक की ऋण राशि के लिए गारंटी के बजाय पत्नी, पति, पिता, माता, भाई, बहन को सह आवेदक के रूप में लिया जा सकता है.
- घर / फ्लैट / संपत्ति पर्याप्त रूप से बीमाकृत होनी चाहिए.

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट होम लोन योजना, तीसरा या चौथा घर/फ्लैट खरीदने हेतु

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तीसरा अथवा चौथा घर / फ्लैट खरीदने हेतु भी अपनी योजना प्रस्तुत करता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि यदि कोई तीसरा अथवा चौथा मकान खरीदने के लिए आर्थिक सहायता चाहता है तो वह उसे प्राप्त हो सके. पूर्ण योजना निम्नानुसार है :-

उद्देश्य:
नए घर/फ्लैट के निर्माण/अधिग्रहण के लिए या वर्तमान घर/फ्लैट का अधिग्रहण करने के लिए जो 40 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो और ऋण अवधि से 10 वर्ष से अधिक की अवधि तक सुरक्षित रहे.

पात्रता:
वैक्तिक, व्यक्तियों का समूह, करीबी रिश्तेदार होने के नाते, जिनके पास कानूनी पहचान और आय का नियमित स्रोत है, या तो अकेले अथवा माता-पिता, पुत्रों, पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एवं भाइयों, बेटियों और बहनों को सह-उधारकर्ता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि वे गृह संपत्ति के सह-स्वामी हैं या होने का इरादा रखते हैं.

ऋण की प्रमात्रा:

उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और संपत्ति के मूल्य के आधार पर ऋण की प्रमात्रा का निर्धारण किया जाएगा.

मार्जिन:
वेतनभोगी उधारकर्ता के लिए

i) **रु .30.00 लाख तक के ऋण** :

(ए) नए या मौजूदा फ्लैट के निर्माण / खरीद / मौजूदा घर या फ्लैट के विस्तार के लिए न्यूनतम 10%.

(बी) मरम्मत / नवीनीकरण / परिवर्तन के लिए न्यूनतम 25%, अधिकतम 10 लाख रुपए तक.

(सी) प्लॉट / जमीन खरीदने के लिए न्यूनतम 25%.

(ii) **रु.30.00 लाख से अधिक और रु.75.00 लाख तक के ऋण** :

(ए) नए या मौजूदा फ्लैट या घर / मौजूदा घर या फ्लैट के विस्तार के निर्माण / खरीद के लिए न्यूनतम 20% .

(बी) प्लॉट / जमीन की खरीद के लिए न्यूनतम 25%.

(iii) 75.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण:

(ए) नए या मौजूदा फ्लैट या घर के निर्माण / खरीद / मौजूदा घर के विस्तार या फ्लैट / भूखंड की खरीद के लिए न्यूनतम 25%.

(iv) जब भी संवितरण किया जाता है, उधारकर्ता के मार्जिन अनुपात को शामिल किया जाय. जहां भी उधारकर्ता बिल्डर अपने मार्जिन का पूर्व में ही किए गए भुगतान किए गए के बारे में सूचित करता है, विक्रेता और खरीददार के बीच वास्तविक अंतरण की पुष्टि करने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए. जिसे बैंक खाता विवरणी के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है.

गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता के लिए :-

1. **रु.75.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए :-**

(ए) नए या मौजूदा फ्लैट या घर के निर्माण / मौजूदा घर या फ्लैट के विस्तार के लिए न्यूनतम 20%.

(बी) फ्लैट की मरम्मत / नवीनीकरण / परिवर्तन के लिए न्यूनतम 25%, अधिकतम 10 लाख रुपये के अधीन.

(सी) प्लॉट / जमीन की खरीद के लिए न्यूनतम 25%.

II. रु. 75.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए :

नए या मौजूदा फ्लैट या मकान के निर्माण/खरीद / मौजूदा घर या फ्लैट का विस्तार / भूखंड की खरीद के लिए न्यूनतम 25%.

चुकौती:

नए या मौजूदा घर / फ्लैट के निर्माण / अधिग्रहण के लिए जो 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी के लिए क्रमशः 30 और 25 वर्ष की अधिकतम अवधि या उधारकर्ता के 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो. 10 वर्ष से अधिक पुराने मकान / फ्लैट की खरीद के लिए, अधिकतम 25 वर्ष की अवधि या उधारकर्ता के 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, जो भी पहले हो.

ब्याज दर:

रेपो आधारित उधार दर (आरबीएलआर) = रेपो + स्प्रेड + क्रेडिट जोखिम

रेपो आधारित उधार दरें सीआईसी स्कोर और आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर निर्धारित होती हैं.

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर.	सीआईसी स्कोर		
	सिबिल सीआरआईएफ/ 725 से ऊपर या एक्सपेरियन 750 से ऊपर	सिबिल सीआरआईएफ/ 701-725 या एक्सपेरियन 726-750	सिबिल सीआरआईएफ/ 675-700 या एक्सपीरियन 700-725
	ए	बी	सी
71-100(सीबीआई-1 से 3 यानी कम जोखिम(	आरबीएलआर	आरबीएलआर+0.10	आरबीएलआर+0.20
50-70 (सीबीआई-4 से 6 यानी मध्यम जोखिम(	आरबीएलआर+0.25	आरबीएलआर+0.35	आरबीएलआर+0.45
<50 (सीबीआई-7 से 10 यानी उच्च जोखिम(	-	-	-

हमारे रिटेल उत्पाद

सिबिल / सीआरआईएफ में 675 से कम और एक्सपेरियन में 700 से कम स्कोर करने वाले ग्राहकों को नयी स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी.

सीआईसी स्कोर को ध्यान में रखते हुए मानदंड:

किसी भी आवेदक का क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) का न्यूनतम स्कोर निम्नानुसार होना चाहिए :

सीआईसी का नाम	न्यूनतम सीमा सीमा
ट्रांसयूनियन सिबिल	**675**
सीआरआईएफ	**675**
एक्सपेरियन	**700**

अधिस्थगन अवधि :-

निर्माण के मामले में अधिस्थगन अवधि अधिकतम 24 महीने होगी. अधिस्थगन अवधि 18 महीने से अधिक और 24 महीने तक होने के मामले में, प्री-ईएमआई ब्याज जब भी प्रभारित होगी उधारकर्ता द्वारा देय होगी.

प्रसंस्करण शुल्क :-

ऋण राशि का 0.50% अधिकतम रु. 20,000 /- के अधीन.

****

सेन्ट होम लोन लाभार्थियों को टॉपअप सुविधा :

उद्देश्य :

- नए घर / फ्लैट के निर्माण / अधिग्रहण के लिए या मौजूदा घर / फ्लैट का अधिग्रहण करने के लिए जिसमें वर्तमान ऋण देयता अवधि के पश्चात और 10 वर्ष शेष हो.
- मौजूदा घर / फ्लैट की मरम्मत / नवीनीकरण / परिवर्तन के लिए

पात्रता :

- वैयक्तिक, व्यक्तियों के समूह, जिन्होंने आवेदन की तिथि को 18 वर्ष (पूरा) प्राप्त कर लिए हैं और सहकारी समितियां, जिनके पास माता-पिता, पुत्रों, पति या पत्नी के साथ अकेले या संयुक्त रूप से आय का कानूनी, पहचान और नियमित स्रोत है.
- एनआरआई भी आवास ऋण के लिए पात्र हैं.

ऋण की प्रमात्रा :

ईएमआई/एनएमआई अनुपात के आधार पर आवेदक की शुद्ध वार्षिक आय और चुकौती क्षमता

1. शुद्ध वार्षिक आय-वार श्रेणीबद्ध अनुपात निम्नानुसार है:

शुद्ध वार्षिक आय	ईएमआई(अधिकतम) एनएमआई अनुपात/
<=रु.1.20 लाख	20%
> रु.1.20 लाख और <= रु.3.0 लाख	30%
>रु.3 लाख & <=रु.5.0 लाख	55%
>रु.5 लाख और<= रु.8.0 लाख	60%
> रु.8 लाख और <= 10 लाख	65%
> रु .10.0 लाख	66.67%

शुद्ध मासिक आय की गणना निम्नानुसार की जाती है :-
एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय (जीएमआई) - सभी वैधानिक कटौती और कर (सभी मौजूदा और प्रस्तावित ईएमआई को छोड़कर).

ईएमआई/एनएमआई अनुपात की गणना के उद्देश्य से ईएमआई में मौजूदा ऋणों और प्रस्तावित ऋण के लिए सभी ईएमआई शामिल होंगे , इसलिए मौजूदा ईएमआई को एनएमआई की गणना के उद्देश्य से सकल मासिक आय (जीएमआई) से नहीं काटा जाना चाहिए.

2. सकल वार्षिक आय में सभी स्रोतों से केवल नियमित आय शामिल होनी चाहिए। अप्रत्याशित आय या अस्थायी प्रकृति की आय जैसे ओवरटाइम, आदि को सकल वार्षिक आय की गणना में नहीं लिया जाना चाहिए, भले ही ये आय नियमित हों.
3. आवेदकों द्वारा बताई गई आय दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होनी चाहिए

मार्जिन:
(वेतनभोगी उधारकर्ता के लिए)

1. रु.30 लाख तक के ऋणों की लागत का 90%,
   रु.30.00 लाख से रु.75.00 लाख तक के ऋणों की लागत का 80% एवं
   रु.75.00 लाख ऊपर के ऋण के लिए लागत का 75%.

ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंडों के अधीन। (उपरोक्त लागत का से आशय निर्माण की लागत / नए / मौजूदा घर / फ्लैट की खरीद या मौजूदा घर / फ्लैट के विस्तार की लागत (भूमि की लागत सहित).

2. मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण/विस्तार/परिवर्तन की लागत का 75%, अधिकतम रु.10.00 लाख के अधीन, ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंड के अधीन .
3. ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंड का अनुपालन करने के बाद प्लॉट की लागत (पंजीकृत मूल्य) का 75%. स्टैंडअलोन आधार पर प्लॉट का वित्त

पोषण नहीं किया जाना चाहिए.। प्लॉट की लागत हाउसिंग यूनिट की कुल लागत के 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(गैर-वेतनभोगी उधारकर्ता के लिए)

1. 75 लाख रुपये तक के ऋण की लागत का 80%
   75 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए लागत का 75%
2. मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण/परिवर्तन की लागत का 75%, अधिकतम रु.10.00 लाख के अधीन, ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंड के अधीन.
3. ईएमआई/एनएमआई अनुपात मानदंड का अनुपालन करने के बाद मौजूदा घर/फ्लैट या प्लॉट की लागत (पंजीकृत मूल्य) के विस्तार की लागत का 75%
4. स्टैंडअलोन आधार पर प्लॉट का वित्त पोषण नहीं किया जाना चाहिए.। प्लॉट की लागत हाउसिंग यूनिट की कुल लागत के 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

चुकौती:

- अधिकतम 30 वर्ष की अवधि या उधारकर्ता के 75 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो.
- मरम्मत/नवीनीकरण के मामले में 10 वर्ष

ब्याज दर :

रेपो आधारित उधार दर (आरबीएलआर) = रेपो + स्प्रेड + क्रेडिट जोखिम

सीआईसी स्कोर और आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर रेपो आधारित उधार दरें

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर	सीआईसी स्कोर		
	सिबिल/सीआरआईएफ 725 से ऊपर या एक्सपेरियन 750 से ऊपर	सिबिल/सीआरआईएफ 701-725 या एक्सपेरियन 726-750	सिबिल/सीआरआईएफ 675-700 या एक्सपीरियन 700-725
	ए	बी	सी

71-100 (सीबीआई-1 से 3 यानी कम जोखिम)	आरबीएलआर	आरबीएलआर+0.10	आरबीएलआर+0.20
50-70 (सीबीआई-4 से 6 यानी मध्यम जोखिम)	आरबीएलआर+0.25	आरबीएलआर+0.35	आरबीएलआर+0.45
<50 (सीबीआई-7 से 10 यानी उच्च जोखिम)	-	-	-

50 से नीचे के आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा.

सीआईसी स्कोर को ध्यान में रखते हुए मानदंड:

- आवेदक का न्यूनतम क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) स्कोर निम्नानुसार है:

सीआईसी का नाम	न्यूनतम सीमा सीमा
ट्रांसयूनियन सिबिल	675
सीआरआईएफ	675
एक्सपेरियन	700

अधिस्थगन अवधि:

निर्माण के मामले में अधिकतम 24 महीने तक, अधिस्थगन अवधि 18 महीने से अधिक 24 महीने तक होने के मामलों में, प्री-ईएमआई ब्याज जब भी प्रभारित होगी वह उधारकर्ता द्वारा देय होगी.

प्रसंस्करण शुल्क:

ऋण राशि का 0.50%, अधिकतम रु. 20,000 /- के अधीन.

हमारे रिटेल उत्पाद

हमारे रिटेल उत्पाद

वाहन ऋण

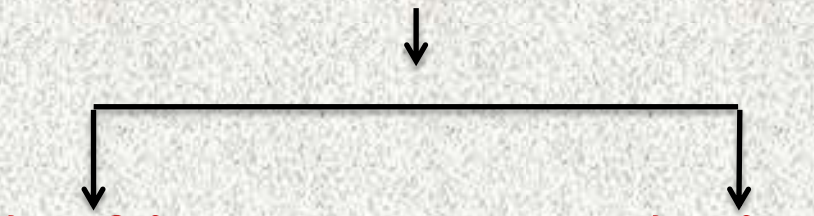

सेन्ट वाहिनी

यह योजना विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बनायी गयी है. यद्यपि यह योजना दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक स्वीकृत ऋण एवं दिनांक 31 मार्च,2022 तक संवितरित ऋण पर ही लागू है.

इस योजना के अंतर्गत निम्न महिलाएं ऋण हेतु पात्र होंगी.

पात्रता :- आवेदक महिला पूर्ण रूप से उधारकर्ता होनी चाहिए अथवा संयुक्त उधारकर्ताओं के मामले में आवेदक महिला का प्रथम नाम होना चाहिए.

ब्याज दर :- इस योजना के अंतर्गत ऋण राशि पर निम्न ब्याज दर लागू होगी.
(रेपो +3%) अर्थात 7% (वर्तमान में रेपो दर 4% है)

न्यूनतम सीआईसी स्कोर :-

वेतनभोगी	**गैर वेतनभोगी**
सिबिल / सीआरआईएफ : 725 अथवा अधिक एक्सपेरियन : 750 अथवा अधिक	सिबिल / सीआरआईएफ : 750 अथवा अधिक एक्सपेरियन : 775 अथवा अधिक

इस योजना में अन्य नियम व शर्तें सेन्ट व्हीकल योजना के अनुसार ही लागू होंगी.

****

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट व्हीकल लोन :-

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेन्ट व्हीकल योजना बहुत ही लोकप्रिय एवं सरल है. इस योजना के अंतर्गत चार पहिया (नया अथवा पुराना) एवं दोपहिया वाहन खरीद सकते हैं. यह योजना सभी सम्माननीय ग्राहकों एवं बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनायी गयी है. इस योजना की महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है.

उद्देश्य :

व्यक्तिगत उपयोग (यह योजना के अंतर्गत व्यावसायिक उपयोग के लिए वाहन खरीदना अनुमत नहीं है) हेतु नए दो या चार पहिया वाहन को खरीदने हेतु

सुविधा का प्रकार :-

मियादी ऋण

लक्ष्य समूह :- यह योजना इस प्रकार बनायी गयी है जिसमें अधिक से अधिक ग्राहकबंधु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड सकें.

18 वर्ष से 65 वर्ष तक के सभी व्यक्ति.(न्यूनतम आय मानदण्ड (सकल वार्षिक आय) इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं.

वैतनिक / अवैतनिक	4 पहिया	2 पहिया
	रू.3,00,000	रू.1,80,000

अधिकतम ऋण राशि :- इस योजना के अंतर्गत वाहनों के लिए निम्नानुसार अधिकतम ऋण राशि प्रदान की जा सकती है.

दोपहिया वाहन – अधिकतम रु.10.00 लाख .

नया चार पहिया वाहन - रू.75 लाख(भारतीय / विदेश में बने वाहन)

हमारे रिटेल उत्पाद

मार्जिन :-

रु. 20 लाख तक की ऋण राशि के लिए – न्यूनतम 10%

रु. 20 लाख तक ऋण राशि – न्यूनतम 20%

ऋण राशि "ऑन रोड लागत" (वाहन की लागत +पंजीयन शुल्क+ रोड टेक्स+ बीमा राशि) के अनुसार स्वीकृत किए जाएगी. फैंसी नम्बर हेतु अतिरिक्त कीमत बैंक द्वारा ऋण की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी.

चुकौती अवधि :- (माह में)

दोपहिया – 60 माह

चार पहिया - 84 माह

पात्रता :-

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्ति जो निम्नानुसार पात्रता रखते हैं.

i. केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय स्वशासन / रक्षा कर्मचारी / पीएसयू के कर्मचारी/ बड़े निगम/ प्रतिष्ठित संस्थाओं के कर्मचारी हैं.

ii. स्व रोजगारित व्यक्ति/ स्वतंत्र व्यवसायी जिनका नियमित आय स्रोत है .

iii. भू-जोत से निरपेक्ष किसान जो कृषि उन्मुख उत्पादन में या अन्य अनुषंगी कार्यकलापों में संलग्न हैं .

iv. गैर निवासी भारतीय, भारत में, भारतीय निवासी के साथ संयुक्त रूप से जो एनआरआई का नजदीकी रिश्तेदार है. वाहन का उपयोग केवल भारत में हो.

v. अपने बैंक के सभी स्टाफ सदस्यजिसमें परिवीक्षाधीन भी सम्मिलित हैं, एकल या संयुक्त रूप से, जीवनसाथी या बच्चों के साथ.

vi. रक्त सम्बन्धी रिश्तेदार जैसे कि मॉ, पिता, जीवनसाथी, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री जिनकी आय का नियमित स्रोत है, को सहऋणी के रूप में लिया जा सकता है. सहऋणी की आय पात्र ऋण राशि की गणना हेतु सम्मिलित की जा सकती है.

vii. मित्र, दूर के रिश्तेदार जैसे कि चाचा, चाची ,भांजे, भतीजे आदि सहऋणी के रूप में पात्र नहीं हैं.

viii. आवेदकों की अधिकतम संख्या दो (2) तक सीमित है.

ix. ऋणी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने पर सहऋणी अवश्य लिए जाएं.

x. न्यूनतम आय मानदंड (सकल वार्षिक आय)

ऋण की प्रमात्रा

वैतनभोगी व्यक्ति: -

1. सकल मासिक वेतन का 14 गुना, अंतिम आहरित वेतन के आधार पर.
2. अन्य व्यक्तियों के लिए :-
   अंतिम 2 वर्षों की औसत वार्षिक आय का दो गुना

उपर्युक्त के होते हुए भी अधिकतम ऋण राशि निम्नानुसार है :

दो पहिया – रू.10.00 लाख .

नया चार पहिया - रू.75 लाख, भारतीय / विदेशी वाहन हेतु .

प्रतिभूति :-

खरीदे गए वाहन का दृष्टिबंधक. वाहन पंजीयन एवं सरसाई एकीकृत किए गए हैं एवं अन्य दृष्टिबन्धक प्रभार वाहन पंजीयन के साथ पंजीकृत हैं जो सरसाई में स्वत: अद्यतन होगा. तद्नुसार यदि बैंक दृष्टिबन्धक खंड, वाहन पंजीयन के साथ पंजीकृत है, तो वाहन के दृष्टिबन्ध प्रभार का पंजीकरण सरसाई के साथ अलग से पंजीकृत नहीं किया जाएगा.

हमारे रिटेल उत्पाद

गारंटी :-

i. रु. 5.00 लाख तक के ऋण के मामले में कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं ली जाएगी.

ii. ऋण राशि रु.5.00 लाख से अधिक होने के मामलों पर निम्न मामलों में कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं ली जानी चाहिए;

ए. कोई प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूति, इसका बाजार मूल्य ऋण राशि से कम नहीं है.

बी. ऋण राशि के कम से कम 50% तक तरल प्रतिभूति के प्रस्ताव पर.

सी. ऋणी ने निर्धारित मार्जिन से कम से कम दोगुना अंशदान दिया हुआ है.

डी. यदि आवेदक केंद्र/राज्य सरकार संगठन / पीएसयू/ हमारा स्टाफ है तो

ई. ऋणी का कम से कम 5 वर्षों से हमारे साथ संतोषजनक बैंकिंग संबंध है. इस मामले में व्यक्तिगत गारंटी की शर्त में छूट देने हेतु मुख्य प्रबंधक एवं उच्च पद के प्रतिनिधि निर्णय ले सकते हैं.

iii. अन्य मामलों में, ऋण राशि से कम की निवल संपत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभूति प्राप्त की जाए.

वैतनिक एवं अवैतनिक उधारकर्ता हेतु ईएमआई/एनएमआई अनुपात :-

शुद्ध वार्षिक आय के अनुसार वर्गीकृत अनुपात इस प्रकार है :-

शुद्ध वार्षिक आय	**ईएमआई/एनएमआई – से अधिक नहीं**
5 तक	55%
>5- 10	60%
>10	65%

एनएमआई (शुद्ध मासिक आय) = सकल मासिक आय (जीएमआई) – सभी सांविधिक कटौतियॉ एवं सभी कर (सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित ईएम आई को छोड़कर). ईएमआई / एनएमआई अनुपात की गणना के उद्देश्य से, विद्यमान सभी ऋणों एवं

प्रस्तावित ऋण की ईएमआई को शामिल किया जाएगा इसलिए एनएमआई की गणना के उद्देश्य हेतु विद्यमान ईएमआई को सकल मासिक आय (जीएमआई) से नहीं काटा जाना चाहिए.

नोट: स्वीकार्य ऋण राशि का निर्धारण नीचे लिखे मानदंड से प्राप्त निम्नतर मूल्य के आधार पर किया जाएगा.

आय मानदंड के अनुसार अधिकतम अनुमत राशि, वाहन की कीमत (एलटीवी) या ईएमआई/ एनएमआई अनुपात, जो भी कम हो, देय होगी.

सीआईसी स्कोर

आवेदक की न्यूनतम प्रारम्भिक सीमा सीआईसी स्कोर निम्नानुसार है :

सीआईसी का नाम	वैतनिक ग्राहक	अवैतनिक ग्राहक
ट्रांसयूनियन सिबिल	675	700
सीआरआईएफ	675	700
एक्सपीरियन	700	725

दो पहिया / चार पहिया वाहन हेतु ब्याज दर निम्नानुसार है :-

टेबिल ए : वैतनिक ऋणियों हेतु तात्कालीन ब्याज दर :-

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर	725 से अधिक सिबिल /सीआरआईएफ या 750 से अधिक एक्सपीरियन (ए)	701-725 सिबिल/सीआरआईएफ या एक्सपीरियन 726-750 (बी)	675-700 सिबिल/सीआरआईएफ या एक्सपीरियन 700-725 (सी)
71-100 (सीबीआई-1 से 3)	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.40%) \=7.25%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.50%) =7.35%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.60) =7.45%
50-70 (सीबीआई-4 से 6)	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.65%) =7.50%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.75)=7.60%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.85)=7.70%

हमारे रिटेल उत्पाद

टेबिल बी : अवैतनिक ऋणियों हेतु तात्कालीन ब्याज दर :-

आंतरिक जोखिम रेटिंग स्कोर	750 से अधिक सिबिल/सीआरआईएफ या 775 से अधिक एक्सपीरियन (ए)	सिबिल/सीआरआईएफ 726-750 या एक्सपीरियन 751-775 (बी)	सिबिल/सीआरआईएफ 700-725 या एक्सपीरियन 725-750 (सी)
71-100 (सीबीआई-1 से 3)	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.40%) =7.25%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.50%=7.35%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.60%)=7.45%
50-70 (सीबीआई-4 से 6)	आरबीएलआर (6.85%)+ सीआरपी (0.65%)=7.50%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.75%)=7.60%	आरबीएलआर (6.85%)+सीआरपी (0.85%)=7.70%

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह वाहन योजना बहुत ही आकर्षक एवं आसान है. इस योजना की पूर्ण जानकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा से संपर्क कर ली जा सकती है.

****

हमारे रिटेल उत्पाद

शिक्षा ऋण

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट विद्यार्थी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नये नये उत्पाद उपलब्ध कराता रहता है. ग्राहकों के साथ साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारे विद्यार्थियों का भी पूर्ण ख्याल रखता है. इसी के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा (भारत / विदेश) हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए सेन्ट विद्यार्थी योजना प्रारंभ की है. इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उच्च शिक्षा के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऋण उपलब्ध कराता है.

सेन्ट विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य भारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा में होने वाले व्यय की पूर्ति है.

इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी की पात्रता निम्नानुसार है :-

- विद्यार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए.
- एचएससी (10 +2 या समकक्ष) के पूरा होने के बाद भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा / योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन सुनिश्चित हो.
- जहां कोई प्रवेश परीक्षा/मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया नहीं है और प्रवेश विशुद्ध रूप से पात्रता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर है, वहां छात्र को पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए. (अजा/अजजा वर्ग के लिए 10% की छूट)

यह ऋण **सावधि ऋण** के रूप में प्रदान किया जाता है.

शिक्षा ऋण के लिए मान्य व्यय निम्नानुसार हैं. अर्थात निम्न व्यय शिक्षा ऋण के लिए पात्र हैं.

- महाविद्यालय/विद्यालय/छात्रावास को दिया जाने वाला शुल्क.

- परीक्षा / पुस्तकालय / प्रयोगशाला शुल्क.
- विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा खर्च/मार्ग व्यय
- छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम, यदि लागू हो
- जमानत राशि, भवन निधि / संस्था के बिल / जिसके लिए संस्था द्वारा रसीद प्रदान की गयी हों.
- पुस्तकों / उपकरणों / यंत्र / यूनिफार्म खरीदने के लिए.
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो उचित कीमत पर कंप्यूटर खरीदने के लिए.
- पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अन्य कोई आवश्यक खर्च - जैसे अध्ययन दौरा, परियोजना कार्य, थीसिस आदि.
- आवश्यक ऋण की गणना करते समय, छात्र ऋण लेने वाले को छात्रवृत्ति, शुल्क माफी आदि, यदि कोई उपलब्ध हो, को ध्यान में रखा जा सकता है.

इस योजना के अंतर्गत **अधिकतम ऋण राशि के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं** किया गया है बशर्ते यदि **ऋण राशि 100% कोलेटरल प्रतिभूति के तहत सुरक्षित** है..

इस योजना के अंतर्गत मार्जिन राशि निम्नानुसार है :-

- ✓ रु. 4 लाख तक की ऋण राशि के लिए : **मार्जिन शून्य**,
- ✓ भारत में रु. 4 लाख से अधिक के लिए : मार्जिन राशि, ऋण राशि का 5% ,
- ✓ विदेश में रु.4 लाख से अधिक के लिए : मार्जिन राशि, ऋण राशि का 15% (छात्रवृत्ति को मार्जिन राशि में शामिल किया जा सकता है.)

ब्याज दर :-

उधारकर्ता के प्रकार	ब्याज दर
पुरुष विद्यार्थी(भारत , विदेश)	रेपो+ 5.00= 9.00%
महिला विद्यार्थी(भारत , विदेश)	रेपो+ 4.500= 8.50%

हमारे रिटेल उत्पाद

प्रोत्साहन :-

यदि मोरिटोरियम अवधि के बाद की जाने वाली चुकौती से पहले ही शिक्षा-अवधि के दौरान ब्याज की राशि जमा कर दी जाती है तो, बैंक द्वारा शिक्षा-अवधि के दौरान ब्याज दर में 1% की छूट दी जा सकती है.

चुकौती अवकाश (रीपेमेंट होलीडे) / अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम) के दौरान ब्याज की गणना साधारण आधार पर की जाती है. पहली किस्त की देय तिथि से मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रभारित किया जाएगा.

संवितरण :-

राशि का भुगतान सीधे कॉलेज / हॉस्टल / मैस / एयरलाइंस आदि को किया जाएगा. कुछ मामलों में संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर उधारकर्ता के खाते में संवितरण किया जाएगा, जिसमें मूल रसीदें जमा करनी होंगी.

चुकौती

- पढ़ाई पूरी होने के 12 महीने बाद या नौकरी मिलने के 6 महीने बाद, जो भी पहले हो, चुकौती उसी समय से शुरू होगी.
- रु.7.50 लाख तक की राशि वाले ऋण के लिए अधिकतम चुकौती अवधि 10 वर्षों तक है.
- रु.7.50 लाख से अधिक की राशि वाले ऋण के लिए अधिकतम चुकौती अवधि 15 वर्षों की होगी. सभी चुकौती क़िस्त के आधार पर होगी.

प्रतिभूति :-

रु.4 लाख तक	माता-पिता / अभिभावक संयुक्त-उधारकर्ता होंगे. ऋण की किश्तों के भुगतान के लिए छात्र की भावी आय का समनुदेशन. इस राशि तक कोई प्रतिभूति नहीं. एनसीजीटीसी कवर होना चाहिए..
रु.4 लाख से अधिक एवं	संयुक्त उधारकर्ता के रूप में दस्तावेजों को निष्पादित करने वाले माता-पिता/अभिभावक के अलावा, किश्तों के भुगतान के लिए छात्र की भविष्य

रु.7.5 लाख तक	की आय के असाइनमेंट के साथ उपयुक्त तृतीय पक्ष गारंटी के रूप में संपार्श्विक सुरक्षा ली जाएगी. एनसीजीटीसी कवर लेना है.
रु.7.5 लाख से अधिक के लिए	माता-पिता/अभिभावक का संयुक्त उधारकर्ता होना. किश्तों के भुगतान के लिए छात्र की भविष्य की आय के असाइनमेंट के साथ-साथ ऋण राशि के बराबर और बैंक को स्वीकार्य न्यूनतम मूल्य की मूर्त संपार्श्विक सुरक्षा.

बीमा

ऋण राशि के बराबर शैक्षिक ऋण प्राप्त करने वाले छात्र की, ऋण अवधि की न्यूनतम अवधि (अर्थात,अवधि+अधिस्थगन अवधि+चुकौती अवधि) कम्प्रिहेंसिव जीवन बीमा पॉलिसी होनी चाहिए और वह बैंक के पक्ष में सौंपी जानी चाहिए.

केन्द्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईसीसी):

- यह नोट करने की आवश्यकता है, कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 'आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना' पर आधारित है, और यह सब्सिडी केवल भारत में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों (12 वीं कक्षा के बाद) के लिए दिए गए ऋणों पर लागू है.
- यह भी ध्यान दें कि ऋण राशि रु.10 लाख से अधिक होने पर भी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत रु.10 लाख तक की राशि ब्याज सब्सिडी के लिए ही पात्र है.

प्रबंधन कोटे के अंतर्गत विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण :

- प्रबंधन कोटे के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शैक्षिक ऋण आईबीए मॉडल शिक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.
- ये ऋण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के लिए पात्र नहीं है.
- हालांकि, प्रबंधन कोटे की सीटों के तहत शाखाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक ऋण देने पर विचार कर सकती हैं, यदि वहां रोजगार की संभावनाएं हों-

शुल्क संरचना	• शुल्क का भुगतान / प्रतिपूर्ति भुगतान सीटों के लिए राज्य सरकार / सरकार द्वारा अनुमोदित नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना तक ही सीमित है. • यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फंडिंग गैप को पूरा करने के लिए छात्र के पास वित्तीय संसाधन हों.
प्रतिभूति	• माता-पिता / अभिभावक को संयुक्त उधारकर्ता होना चाहिए. • रु.7.50 लाख तक के ऋण के लिए एनसीजीटीसी कवर लिया जाएगा. • ऋण राशि के बावजूद, किश्तों के भुगतान के लिए विद्यार्थी की भविष्य की आय के समनुदेशन के साथ ऋण राशि के बराबर न्यूनतम मूल्य और बैंक को स्वीकार्य 100% मूर्त संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की जानी चाहिए.
अन्य	• सेन्ट विद्यार्थी योजना के लिए लागू अन्य सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए.

प्रक्रिया शुल्क :-

इस योजना के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा.

****

एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए सेन्ट विद्यार्थी ऋण योजना

एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए ऋण योजना :-

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत अथवा किसी सेवा में कार्यरत एमबीए करने में इच्छुक व्यक्तियों के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए के अंतर्गत ऋण योजना प्रस्तुत करती है. यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जो किसी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है. इस योजना की मुख्य मुख्य अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं.

इस योजना के लिए पात्रता निम्नानुसार है :-

- विद्यार्थी को एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और सरकार / कॉर्पोरेट / बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए.
- विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए.
- भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित संस्थान के एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में प्रवेश या अंतिम चयन की सूचना प्राप्त होनी चाहिए।

सह-उधारकर्ता

अनुसूची-बी के लिए वैकल्पिक एवं अनुसूची-ए के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष के लिए सह-उधारकर्ता की शर्त अनिवार्य है, सह-उधारकर्ता / संयुक्त उधारकर्ता सामान्य रूप से उधारकर्ता विद्यार्थी के माता-पिता / अभिभावक होने चाहिए. विवाहित व्यक्ति के मामले में, संयुक्त उधारकर्ता पति / पत्नी या माता-पिता / सास-ससुर हो सकते हैं.

ऋण की प्रमात्रा :-

इस योजना के अंतर्गत रु.20.00 लाख तक की ऋण राशि अनुमत है. रु. 20.00 लाख से अधिक की ऋण राशि तभी अनुमत होगी जब ऋण राशि के बराबर तरल संपार्श्विक प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी.

मार्जिन :- इस योजना के अंतर्गत कोई राशि नहीं है.

प्रतिभूति : इस योजना के अंतर्गत कोई भी संपार्श्विक प्रतिभूति एवं थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली जाती है. इसके लिए छात्र की वर्तमान एवं भविष्य की आय को ही निर्धारित किया जाएगा.

हमारे रिटेल उत्पाद

ऋण की पूरी अवधि के लिए छात्र के जीवन के लिए एकमुश्त प्रीमियम आधारित टर्म पॉलिसी को स्वीकृत सीमा की सीमा के भीतर भुगतान के लिए विचार किया जाएगा।

ब्याज की दर : इस योजना के अंतर्गत आईआईएम के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण किया गया है. यह निम्नानुसार है :-

शीर्षस्थ 5 आई.आई.एम. :-

अनुसूची ए :-

- आई.आई.एम , अहमदाबाद
- आई.आई.एम, बैंगलोर
- आई.आई.एम, कोलकाता

अनुसूची बी :-

- आई.आई.एम, इंदौर
- आई.आई.एम, लखनऊ

अनुसूची	आईआईएम का नाम	मौजूदा ब्याज की दर	पुनरीक्षित ब्याज की दर
ए	आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर एवं कोलकाता	रेपो रेट +3%= 7%	रेपो रेट +2.85%= 6.85%
बी	आईआईएम इंदौर एवं लखनऊ	रेपो रेट+3.50%=7.50%	रेपो रेट +3.35%= 7.35%
बी (महिला /अजा / अजजा)	केवल आईआईएम इंदौर एवं लखनऊ	रेपो रेट+3%= 7%	रेपो रेट +2.85%= 6.85%

उपर्युक्त 5 आईआईएम के अतिरिक्त एवं संस्थानों के लिए ब्याज दर निम्नानुसार है-

अनुसूची	रेपो रेट (अस्थायी(	प्रसार		मौजूदा ब्याज की दर (%)
		जोखिम रेटिंग प्रीमियम निम्न और मध्यम जोखिम	अन्य घटक	निम्न और माध्यम
A	4.00	0.00	3.00	7.00
B	4.00	0.00	3.50	7.50
B(महिला/अजा/अजजा)	4.00	0.00	3.00	7.00
C	4.00	0.00	4.25	8.25

हमारे रिटेल उत्पाद

इस योजना के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा.

चुकौती:-

- पाठ्यक्रम पूरा होने के 3 माह के उपरांत क़िस्त की चुकौती आरम्भ होगी.
- रु.7.50 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए 8 वर्ष की अवधि तक एवं ऋण राशि रु. 7.50 से अधिक की होने पर कुल ऋण 12 वर्ष तक की अवधि में चुकाया जा सकता है.

निम्न संस्थाओं के विद्यार्थी एक्जीक्यूटिव एमबीए के अंतर्गत ऋण हेतु पात्र हैं-

	अनुसूची – ए	12	भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर,
1	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद,	13	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
2	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर,	14	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम
3	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता,	15	जेवियर यूनिवर्सिटी फॉर भुबनेश्वर कैम्पस
4	जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर	16	एसत जैन प्रबंधन .पी.था शोध संस्थान मुंबई
	अनुसूची – बी	17	प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गाँव
1	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर तथा मुंबई	18	फैकल्टी ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडी – दिल्ली
2	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर,	19	जमना लाल बजाज प्रबंधन शिक्षण संस्थान
3	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीखोडे, केरल		**अनुसूची – सी**
4	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ, उ.प्र.	1	सिम्बोसिस प्रबंधन संस्थान
5	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर,	2	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
6	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची, झारखंड	3	इंडियन स्कूल ऑफ़ बिजनेस हैदराबाद -
7	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक, हरियाणा		
8	भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलाँग, मेघालय		
9	भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची, तमिलनाडु		
10	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर,		
11	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया, बिहार		

****

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट स्किल लोन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया **व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण** के लिए पात्र विद्यार्थियों को सेन्ट स्किल लोन योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करता है. इस योजना के लिए विद्यार्थी की पात्रता एवं योजना का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :-

विद्यार्थी की पात्रता :- इस योजना की सर्वप्रथम पात्रता यह है कि छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिये. और उसने सरकार के मंत्रालय संगठन या राष्ट्रीय /विभाग / राज्य कौशल निगमों द्वारा समर्थित / कौशल विकास निगम या राज्य कौशल मिशनों संगठन द्वारा संचालित या समर्थित पाठ्यक्रम / सोसायटी / कम्पनी; वस्तुत: एक सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन जो इसके लिए अधिकृत हैं. ऐसे संगठनों द्वारा जारी प्रमाण पत्र डिग्री /डिप्लोमा /आदि के लिये प्रवेश पाने की आर्हता प्राप्त कर ली हो.

ऋण की प्रमात्रा :- इस योजना के अंतर्गत व्ययों को पूरा करने के लिये आवश्यकता के आधार पर ऋण की प्रमात्रा पर विचार किया जाएगा, जो निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा :

ऋण की न्यूनतम प्रमात्रा :- रु. 5,000/-

ऋण की अधिकतम प्रमात्रा :- रु. 1,50,000/-

इस न्यूनतम एवं अधिकतम प्रमात्रा में 5% मार्जिन राशि होगी.

ब्याज दर :- इस योजना हेतु ब्याज दर निम्नानुसार है : आर.बी.एल.आर. (रेपो रेट + प्रसार + सी.आर.पी. (क्रेडिट रिस्क प्रीमियम).

ऋण जोखिम प्रीमियम, जोखिम के वर्गीकरण के अनुसार ही होगा .

हमारे रिटेल उत्पाद

सी.बी.आई.- 1 से सी.बी.आई.- 3 रेटेड उधारकर्ता निम्न जोखिम के हैं .
सी.बी.आई.- 4 से सी.बी.आई.- 6 रेटेड उधारकर्ता मध्यम जोखिम के हैं .

लागू रेपो से लिंक ऋण दर निम्नानुसार होंगे :-

आर.बी.एल.आर.	सी.आर.पी. (क्रेडिट रिस्क प्रीमियम)		ब्याज की दर	
	निम्न जोखिम	मध्यम जोखिम	निम्न जोखिम	मध्यम जोखिम
6.85	1.80	1.85	8.65	8.70

प्रसंस्करण शुल्क :- इस योजना के अंतर्गत कोई भी प्रसंस्करण शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा.

प्रतिभूति :- कोई संपार्श्विक या तृतीय पक्ष की गारंटी नहीं ली जायेगी. तथापि, विद्यार्थी के मात-पिता द्वारा छात्र के साथ संयुक्त उधारकर्ता के रूप में ऋण दस्तावेज निष्पादित करेंगे.

चुकौती :- ऋण स्थगन अवधि के पश्चात ऋण को समान मासिक किश्तों (ई.एम.आई.) में निम्नानुसार चुकाया जायेगा :

रु. 50,000/- तक का ऋण – तीन वर्षों में

रु. 50,000/- से रु. 1 लाख तक का ऋण – पांच वर्षों में

रु. 1 लाख से अधिक का ऋण – सात वर्षों में.

हमारे बैंक की यह योजना व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु ऋण के लिए अत्यधिक लाभदायक योजना है.

****

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

आई.आई.एम. तथा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों के लिए सेन्ट विद्यार्थी

.....

आई.आई.एम तथा अन्य संस्थानों के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेन्ट विद्यार्थी योजना अत्यंत ही लाभदायक है. यह योजना एक्जिक्यूटिव एमबीए से पृथक है. यह योजना विशेषकर प्रतिष्ठित सस्थानों के विद्यार्थियों के लिए है. इस **योजना की मुख्य - मुख्य बातें योजना निम्नानुसार है** :-

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की प्रमात्रा रु. 40 लाख है जो विद्यार्थी के नाम पर ही प्रदान किया जाता है. तथापि, इस योजना के अंतर्गत छात्र के माता-पिता / अभिभावक / पति या पत्नी / सास-ससुर को भी संयुक्त उधारकर्ता बनाया जा सकता है.

इस योजना में कोई मार्जिन राशि नहीं है.

प्रतिभूति :

इस योजना के अंतर्गत कोई संपार्श्विक एवं तृतीय पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है. छात्र के भविष्य की संभावित आय का समनुदेशन किया जाता है.

शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए बैंक के पक्ष में निर्दिष्ट ऋण अवधि (यथा- पाठ्यक्रम अवधि + अधिस्थगन अवधि + पुनर्भुगतान की अवधि) की न्यूनतम अवधि के लिए न्यूनतम ऋण राशि तक व्यापक जीवन बीमा पॉलिसी होनी चाहिए.

स्वीकृत सीमा की सीमा के भीतर ऋण की पूरी अवधि के लिए छात्र के जीवन की एकमुश्त प्रीमियम आधारित टर्म पॉलिसी को ऋण भुगतान की सुरक्षा के लिए लिया जाएगा.

ब्याज दर : इस योजना के अंतर्गत देश के शीर्षस्थ 5 आई.आई.एम.

1. आई.आई.एम , अहमदाबाद
2. आई.आई.एम, बैंगलोर
3. आई.आई.एम, कोलकाता
4. आई.आई.एम, इंदौर
5. आई.आई.एम, लखनऊ

के लिए संशोधित ब्याज दर 6.85% है.

हमारे रिटेल उत्पाद

अन्य सभी आई.आई.एम तथा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों के लिए ब्याज की दर रेपो रेट + 3%, अर्थात 7%. होगी.

क्र.सं.	संस्थान	क्र.सं	संस्थान
1	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात	11	भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलाँग, मेघालय
2	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर	12	भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची
3	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	13	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान
4	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर तथा मुंबई कैम्पस	14	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर, पंजाब
5	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर	15	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर
6	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीखोडे	16	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया, बिहार
7	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ,	17	भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर
8	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर	18	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
9	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची	19	भारतीय प्रबंधन संस्थान,विशाखापत्तनम
10	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक,	20	भारतीय प्रबंधन संस्थान, संबलपुर
अन्य प्रतिष्ठित संस्थान			
1	जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट (एक्स. एल. आर. आई.), जमशेदपुर	6	आईआईटी मुम्बई का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम
2	जेवियर यूनिवर्सिटी फॉर भुवनेश्वर कैम्पस (एक्स.आई.एम.बी.)	7	आईआईटी रुड़की का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम
3	एस.पी. जैन प्रबंधन तथा शोध संस्थान (एस.पी.जे.एम.आर.), मुंबई	8	आईआईटी मद्रास का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम
4	प्रबंधन विकास संस्थान (एम.डी.आई.), गुड़गाँव	9	आईआईटी खानपुर का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम
5	आईआईटी दिल्ली का पीजीपी/एमबीए प्रोग्राम		

****

हमारे रिटेल उत्पाद

वैयक्तिक ऋण

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सम्माननीय ग्राहकों के लिए वैयक्तिक ऋण योजना भी उपलब्ध है. यह योजना दो भागों में विभाजित की गयी है.

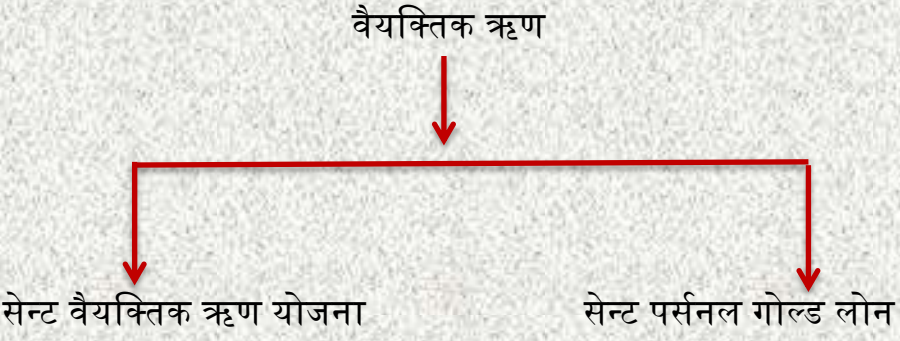

सेन्ट वैयक्तिक ऋण योजना :-

आज प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं. दिन प्रतिदिन की बढती आवश्यकताओं एवं जीवन स्तर में आए परिवर्तनों में अपने आप को समाज में बनाए रखने के लिए विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं. इन्हीं सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वैयक्तिक ऋण योजना प्रारंभ की है. इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत/घरेलू व्ययों की पूर्ति हेतु ऋण प्रदान किया जाता है.

इस योजना के अंतर्गत सरकारी संस्थाएं, केंद्र व राज्य सरकार, स्कूल, अस्पताल, नगरपालिका निकाय आदि के स्थायी कर्मचारी जिन्होनें अपनी सेवा का एक वर्ष पूर्ण कर लिया है अथवा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्थायी कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवाकाल के कम से कम 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हों. ऐसे सभी कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु पात्र हैं.

ऋण की प्रमात्रा: सेन्ट वैयक्तिक ऋण योजना के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी के सकल वेतन का 20 गुना अधिकतम रु. 10,00,000/ इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया

जा सकता है बशर्ते सभी सांविधिक देय, प्रस्तावित ऋण की किस्त के साथ विभिन्न ऋणों की चुकौती को ध्यान में रखते हुए कम से कम टेक होम 40% होना चाहिए.

ब्याज दर: इस योजना में ब्याज दर निम्नानुसार है :-

आरबीएलआर + रेपो + स्प्रेड + साख जोखिम प्रीमियम

निम्न वर्ग : रेपो दर + 5.85% + 0.00% = 9.85%

मध्यम जोखिम वर्ग : रेपो दर + 5.85% + 0.200%= 10.05%
(रेपो रेट = 4.00%)

चुकौती : इसमें ऋण की चुकौती 48 एक समान मासिक किस्तों में की जाएगी.

प्रक्रिया शुल्क: रु. 500+ जीएसटी.

****

सेन्ट वैयक्तिक गोल्ड लोन

सेन्ट वैयक्तिक गोल्ड लोन का मुख्य उद्देश्य कृषि सम्बन्धी व्यय के अलावा आकस्मिक व्यक्तिगत व्यय जैसे कि विवाह / चिकित्सा / शैक्षणिक आवश्यकताओं आदि की पूर्ति के लिए यह ऋण प्रदान किया जाता है.

यह ऋण डिमांड लोन (मांग ऋण) सुविधा के रूप में 22 कैरेट शुद्ध सोने के गहनों या हमारे बैंक द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों (प्रति व्यक्ति अधिकतम 50 ग्राम) की गिरवी के विरुद्ध प्रदान किया जाता है.

हमारे रिटेल उत्पाद

प्रतिभूति :- मांग ऋण के लिए गिरवी रखे गए हमारे बैंक द्वारा बेचे सोने के सिक्कों या 22 कैरेट शुद्ध सोने के गहने ही इस योजना के अंतर्गत प्रतिभूति होगी.

ऋण की प्रमात्रा :- इस योजना में न्यूनतम रु. 10,000/- से लेकर अधिकतम रु. 40,00,000 तक की राशि का ऋण प्रदान किया जा सकता है. इस ऋण राशि में स्वीकृति के समय कुल मूल्य का 30% मार्जिन राशि के रूप में ली जाएगी.

दिनांक 05.10.2021 से लागू प्रति ग्राम अधिकतम ऋण सीमा :-

- सोने के गहनों का प्रति ग्राम पर रु. 3100/- अथवा 22 कैरेट सोने के वर्तमान बाजार मूल्य का 70%, जो भी कम हो, ऋण प्रदान किया जाएगा.
- बैंक द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों के मामलों में सोने के सिक्कों के प्रति ग्राम पर रु. 3400/- अथवा 24 कैरेट सोने के वर्तमान बाजार मूल्य का 70%, जो भी कम हो.
- इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाए कि सोने के सिक्कों की प्रतिभूति के विरुद्ध अग्रिम के मामले में गिरवी रखे गए सोने के सिक्कों का वजन प्रति ऋणी 50 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए
- सोने के बाजार मूल्य के आधार पर आहरण अधिकार की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी.

चुकौती :- यह ऋण अधिकतम 12 माह की अवधि में चुक जाना चाहिए.

प्रक्रिया शुल्क :- ऋण राशि का 0.5% + कर + लागू मूल्यांकन फीस .

ब्याज दर :-

दि: 30.05.2020 से लागू रेपो आधारित ऋण दरें :-

आरबीएलआर = रेपो+ स्प्रेड + साख स्प्रेड
निम्न / मध्यम जोखिम = 4.00+5.05 =9.05%

****

वरिष्ठ नागरिकों को ऋण

वरिष्ठ नागरिकों का ऋण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हमेशा से अपने सम्माननीय ग्राहकों एवं समाज के सभी तबके के नागरिकों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पाद प्रस्तुत किए है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जहां युवाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया वहीं महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं प्रारंभ की. इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम कहें कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने समाज के वरिष्ठ नागरिकों का भी पूरा ध्यान रखा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी.

हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष कई बार यह समस्या आ जाती है कि उनके पास मकान तो है पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें या तो अपनी संतानों से मांगना होगा अथवा अपने रिश्तेदारों के समक्ष हाथ फैलाने होंगे. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर पूर्ण ध्यान देते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं.

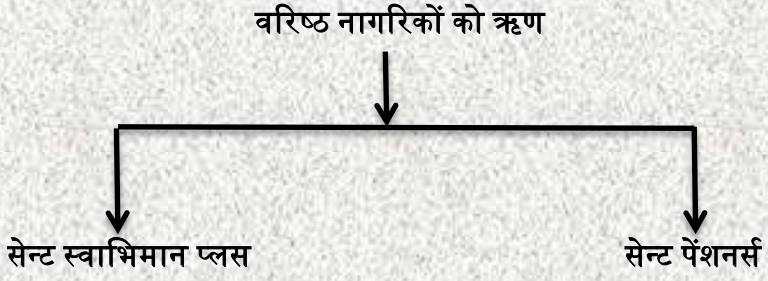

सेन्ट स्वाभिमान प्लस :- (रिवर्स मोर्गेज लोन) :-

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह ऋण योजना उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है जिनके पास अपना मकान अथवा फ्लैट है. अथवा उनको उपहार अथवा जिनको विरासत में संपत्ति मिली हो. यह योजना हमारे उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बहुत लाभदायक है जो अकेले रहते हैं अथवा उनके बेटे अथवा बेटी कहीं विदेश में रहते हैं.

हमारे रिटेल उत्पाद

पात्रता: इस योजना के अंतर्गत वे सभी वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं जिनकी आयु 60 से 99 वर्ष के बीच है. विवाहित जोड़े वित्तीय सहायता के लिए संयुक्त उधारकर्ता के रूप में पात्र होंगे. वह वरिष्ठ नागरिक स्व-अर्जित, विरासत में मिली या उपहार में दी गई, स्व-अधिकृत आवासीय संपत्ति स्वामी का होना चाहिए. संभावित उधारकर्ता उस आवासीय संपत्ति का उपयोग प्राथमिक रूप से स्थायी निवास के रूप में करते हों.

प्रयोजन :-

बीमा कंपनी से आजीवन वार्षिक लाइफ टाइम एन्युटी को खरीदने के लिए आवश्यक राशि. उधारकर्ता को बैंक के पक्ष में समनुदेशित योग्य व्यक्तिगत पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा.

ऋण राशि की प्रमात्रा :-

ऋण राशि की प्रमात्रा बैंक द्वारा आवासीय संपत्ति के बाजार मूल्य के किए गए मूल्यांकन, उधारकर्ताओं की आयु, और प्रचलित ब्याज दर पर निर्भर करेगी. आवासीय संपत्ति का न्यूनतम मूल्य रु. 10 लाख होना चाहिए.

भुगतान की प्रकृति :-

ऋण घटक में उधारकर्ता को सीधे बैंक से उसके द्वारा प्राप्त एकमुश्त ऋण भुगतान राशि और बीमा कंपनी को भुगतान किए गए पॉलिसी के खरीद मूल्य का योग होगा.

बीमा कंपनी उधारकर्ता के वार्षिकी भुगतान को उधारकर्ता के पूर्व उल्लेखित बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे प्रेषित करेगी.

ब्याज दर :-

आरबीएलआर = रेपो + स्प्रेड+ क्रेडिट जोखिम प्रीमियम.

न्यून /मध्यम जोखिम श्रेणी: रेपो+ 3.65% + 0.00% = 7.65%

(वर्तमान में रेपो दर 4.00%)

प्रसंस्करण शुल्क :- इस योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण शुल्क ऋण राशि का 0.15%

न्यूनतम रु. 500/- और अधिकतम रु. 10,000/- है.

हमारे रिटेल उत्पाद

ऋण अवधि :-

ऋण संवितरण की अधिकतम अवधि अंतिम जीवित उधारकर्ता की मृत्यु तक होगी.

ऋण निपटान : इस योजना के अंतर्गत अंतिम जीवित उधारकर्ता की मृत्यु होने, या उसके द्वारा घर बेचने पर अथवा वह स्थायी रूप से किसी वृद्ध देखभाल संस्था या रिश्तेदारों के घर में रहने के लिए चले जाने पर ही यह ऋण राशि देय होगी. संचित ब्याज के साथ ऋण राशि का निपटान आवासीय संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय से पूरा किया जाएगा. अन्य संपत्ति या संपदा अथवा मृतक के उत्तराधिकारी ऋण राशि के निपटान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे.

ऋण का समयपूर्व भुगतान :-

ऋण अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण का पूर्व भुगतान करने का विकल्प उधारकर्ता(ओं) के पास उपलब्ध होगा. इस समयपूर्व भुगतान पर बैंक द्वारा कोई भी पूर्व भुगतान दंड नहीं लगाया जाएगा. बैंक द्वारा ऐसे समयपूर्व भुगतान के बारे में बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा.

समर्पण विकल्प :-

रिवर्स मॉर्टगेज ऋण के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसी रिवर्स को मॉर्गेज ऋण के पूर्ण मोचन निषेध (पूर्ण फोरक्लोजर) पर पॉलिसी की आरंभ तिथि से किसी भी समय सरेंडर किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :-

|| विकल्प ||-एसयूडी लाइफ आर एम एल ईए खरीद मूल्य की वापसी के साथ:

यह वरिष्ठ नागरिकों (स्वयं और जीवनसाथी के लिए) को अंतिम जीवित वार्षिकीदार की मृत्यु तक एक प्रकार का आजीवन वार्षिकी भुगतान है. अंतिम जीवित वार्षिकीदार की मृत्यु के मामले में, बीमा कंपनी (वार्षिकी प्रदाता) समनुदेशिती (बैंक) को खरीद मूल्य (प्रारंभिक शुद्ध प्रीमियम राशि) लौटाती है. बैंक इसका उपयोग ऋण के आंशिक समायोजन के लिए कर सकता है.

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट पेंशनर्स

सेन्ट पेंशनर्स योजना के अंतर्गत पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना की मुख्य मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :-

उद्देश्य:

सट्टा, अचल संपत्ति में निवेश या निषिद्ध गतिविधियों के अलावा कोई भी वास्तविक व्यक्तिगत जरूरतो के लिए पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

इस योजना के अंतर्गत बैंक के पूर्व स्टाफ सदस्यों सहित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी सभी सदस्य ऋण हेतु पात्र होगे.

इस योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन का अठारह गुना अथवा अधिकतम रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि प्रदान की जा सकती है.

सुविधा की प्रकृति:

60 महीनों में परिशोधन की सीमा में घटती आहरण क्षमता के साथ मांग ऋण और ओवर ड्राफ्ट की सुविधा.

ब्याज दर: रेपो आधारित उधार दर (आरबीएलआर) दिनांक 30.05.2020 से प्रभावी आरबीएलआर = रेपो + स्प्रेड अर्थात वर्तमान में 4.00+ 4.45 =8.45%

सह-उधारकर्ता: इस योजना में पेंशनभोगी की पत्नी या पारिवारिक पेंशन लाभार्थी के कानूनी उत्तराधिकारी को सह-उधारकर्ता के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है.

इस योजना के अंतर्गत कोई भी प्रसंस्करण प्रभार नहीं लिया जाएगा परंतु दस्तावेजीकरण प्रभार रु. 500 + जीएसटी लिया जाएगा.

****

संपत्ति के सापेक्ष ऋण सुविधा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में संपत्ति के सापेक्ष भी ऋण प्रदान किए जाने की सुविधा उपलब्ध है.

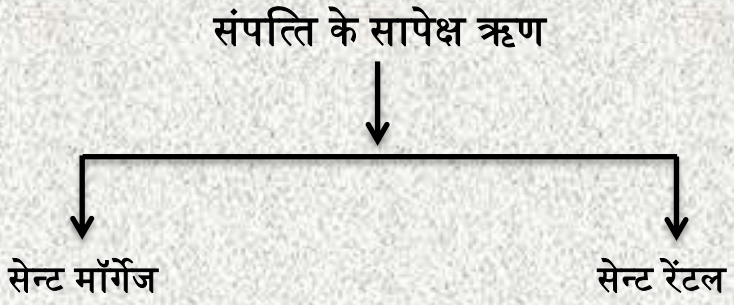

सेन्ट मॉर्गेज

किसी भी गैरकानूनी एवं निषिद्ध गतिविधियों सहित अचल संपत्ति पूंजी बाजार गतिविधियों के अतिरिक्त सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह सुविधा के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा सकता है.

इस ऋण के लिए उधारकर्ता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.

इस योजना के अंतर्गत दो सुविधाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा सकता है.

क. सावधि ऋण: अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक ऋण की अवधि हो सकती है.

हमारे रिटेल उत्पाद

बी.ओवरड्राफ्ट सीमा: अधिकतम 60 वर्ष तक की आयु में यह ऋण सुविधा प्राप्त की जा सकती है. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उधारकर्ता की सकल वार्षिक आय न्यूनतम रु. 2.00 लाख होनी चाहिए.

वित्त की प्रमात्रा :-

ग्रामीण / अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के लिए न्यूनतम रु.1.00 लाख और अधिकतम रु.50.00 लाख तक की ऋण राशि दी जा सकती है.

अर्ध शहरी क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों पर स्थित संपत्ति के लिए न्यूनतम रु.1.00 लाख और अधिकतम रु.200.00 लाख तक की ऋण राशि दी जा सकती है.

सभी मेट्रो, शहरी क्षेत्रों में एवं गोवा राज्य में स्थित सभी अर्ध शहरी शाखाओं में स्थित संपत्ति के लिए न्यूनतम रु.1.00 लाख और अधिकतम रु.500.00 लाख

प्रतिभूति :
महानगर / शहरी / अर्ध शहरी / ग्रामीण केंद्रों में स्थित गैर-ऋण भारग्रस्त आवासीय घर / फ्लैट, वाणिज्यिक या औद्योगिक संपत्ति का साम्यिक बंधक / पंजीकृत बंधक, जहां मुख्य उधारकर्ता के स्वामित्व और कब्जे में, कृषि के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कब्जा या खाली या आंशिक रूप से पट्टे पर / किराए पर दिया गया स्वत्व विलेख गिरवी रखा जा सकता है.

प्रसंस्करण शुल्क :
सावधि ऋण के लिए स्वीकृत ऋण राशि का 0.75% + जीएसटी,
अधिकतम रु.1.00 लाख
ओवर ड्रॉफ्ट के लिए 0.50% + जीएसटी, अधिकतम रु.5000/
दस्तावेजीकरण प्रभार : रु.50.00 लाख तक के ऋण के लिए- रु.2500/-
रु. 50.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए रु. 5000/-

****

हमारे रिटेल उत्पाद

सेन्ट रेन्टल

किसी भी व्यावसायिक / व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा किसी भी वैध गतिविधि के लिए लीज पर दी गयी संपत्ति के भविष्य के किराए के विरुद्ध संपत्ति के मालिकों को वित्तपोषित करना इस योजना का उद्देश्य है.

पात्रता : संपत्ति के मालिक जिनकी संपत्ति महानगर / शहरी क्षेत्र / अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित है, जिन्होंने अपनी संपत्ति को पंजीकृत लीज डीड / सब-लीज डीड / रेंट डीड के अंतर्गत सरकारी / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / प्रतिष्ठित कंपनियों / बैंक / वित्तीय संस्थान / बीमा कंपनियां / बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि को किराए पर दिया है, ऐसे सभी संपत्ति के मालिक इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु पात्र हैं.

सुविधा की प्रकृति: घटते शेष पर सावधि ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा.

वित्त की प्रमात्रा :- इस योजना के अंतर्गत सावधि ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट के रूप में वित्तपोषण किया जाता है. जोकि निम्नानुसार है :-

- जहां लीज अवधि समाप्त होने में तीन वर्ष अथवा उससे कम हो उन मामलों में भावी प्राप्य लीज किराए का 75%. अधिकतम राशि रु. 5 करोड.
- जहां लीज अवधि समाप्त होने में तीन वर्ष से अधिक हो परंतु 6 वर्ष से अधिक न हो उन मामलों में भावी प्राप्य लीज किराए का 65%. अधिकतम राशि रु. 5 करोड.
- जहां लीज अवधि समाप्त होने में 6 वर्ष से अधिक हो परंतु 8 वर्ष से अधिक न हो उन मामलों में भावी प्राप्य लीज किराए का 55%. अधिकतम राशि रु. 5 करोड.
- जहां लीज अवधि समाप्त होने में 8 वर्ष से अधिक हो परंतु 10 वर्ष से अधिक न हो उन मामलों में भावी प्राप्य लीज किराए का 50%. अधिकतम राशि रु. 5 करोड.

हमारे रिटेल उत्पाद

प्रतिभूति :-

- ❖ बैंक के पक्ष में प्राप्य भावी किराए का समनुदेशन
- ❖ उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति का साम्यिक बंधक, जिसका मूल्य सीमा तक होना चाहिए.
- ❖ 36 महीनों के भीतर ऋण चुकाने योग्य स्थिति में प्रस्तावित ऋण का 100 %
- ❖ 36 महीनों से अधिक में ऋण चुकाने योग्य स्थिति में प्रस्तावित ऋण का 133%.
- ❖ प्रस्तावित ऋण का 200% ऐसे प्रकरणों में जहां भावी किराए को समनुदेशित करने के लिए किरायेदारों के साथ समझौता करने में कठिनाई होती है.

गारंटी :- इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार गारंटी ली जाती है.

- संपत्ति के स्वामी / सह स्वामी की व्यक्तिगत गारंटी (यदि कोई हो)
- मनोनीत / व्यावसायिक निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी (कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के प्रकरणा में)

चुकौती : इस योजना के अंतर्गत ऋण की चुकौती निम्नानुसार होती है.

- सावधि ऋण के मामलों में अधिकतम 120 माह में अथवा लीज समाप्त होने के पूर्व, जो भी कम हो, चुकाया जा सकता है.
- ओवरड्राफ्ट सुविधा भी अधिकतम 120 माह के लिए होगी अथवा लीज समाप्त होन के पूर्व, जो भी कम हो.
- प्रत्येक माह का प्राप्त पूर्ण किराया ऋण खाते में ही जमा किया जाएगा.

प्रसंस्करण शुल्क :- इस योजना के अंतर्गत कुल ऋण राशि का 1%, न्यूनतम रु.5000/- एवं अधिकतम रु. 2.00 लाख होगा.

उधारकर्ता का दायित्व : पट्टे के तहत सभी दायित्वों को उधारकर्ताओं द्वारा पूरा किया जाएगा. संपत्ति के रख-रखाव, सभी करों का भुगतान, बीमा प्रीमियम आदि के लिए उधारकर्ता जिम्मेदार होगा.

****